उत्तर प्रदेश शासन
कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग–1
संख्याः–07 /2019/2485/80–1–2018–600(22)/2002 टी.सी.।।
लखनऊः दिनांक 07 मार्च ~~जनवरी~~ 2019

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम,1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–1 सन् 1904) की धारा–21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम 1964 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25, सन् 1964) की धारा 40 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी नियमावली, 1965 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (इक्कीसवॉ संशोधन) नियमावली, 2019

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (इक्कीसवॉ संशोधन) नियमावली, 2019 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नियम 03 का संशोधन

2. उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी नियमावली 1965, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये नियम–3 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
3. समिति के सदस्यों का नाम निर्देशन– इस सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (क) से (छ) के अधीन सदस्यों का नाम निर्देशन राज्य सरकार द्वारा, निदेशक मण्डी परिषद् की सिफारिशों पर सम्यक् विचारोपरान्त किया जायेगा। अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ज) में निर्दिष्ट दो सदस्यों को नाम निर्दिष्ट करने की शक्ति का प्रयोग सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर द्वारा किया जायेगा।	**3–समिति के सदस्यों का नामनिर्देशन–**अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (क) से (घ) के अधीन सदस्यों का नामनिर्देशन, उस सम्भाग के उप निदेशक, प्रशासन /विपणन, जहाँ पर उक्त मण्डी स्थित हो, की सिफारिशों जो निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् के माध्यम से प्राप्त हों, पर सम्यक रूप से विचार करने के पश्चात् और अधिनियम की धारा13(2) के उपबन्धों के अनुसार तैयार किये गये अभ्यर्थियों के नामों की छानबीन करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा। इस सम्बन्ध में निर्धारण हेतु निर्दिष्ट दिनांक, उस कृषि वर्ष, जिसमें नामनिर्देशन पर विचार किया जा रहा हो, से ठीक पूर्ववर्ती कृषि वर्ष का अन्तिम दिनांक होगा।

नियम–5 का संशोधन

3. उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये नियम 5 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
5– मण्डी समिति की सदस्यता हेतु अर्हताएं–(1) कोई व्यक्ति अधिनियम की धारा 13 की उपधारा(1) के खण्ड (क) से (छ) के अधीन मण्डी समिति का सदस्य नाम निर्दिष्ट किये जाने के लिए या बने रहने के लिए तभी अर्ह होगा, जब– (क) वह भारत का नागरिक हो और 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, (ख) वह सम्बन्धित मण्डी क्षेत्र में सम्मिलित इलाके से स्थानीय निकाय या विधान सभा निर्वाचन के लिए पंजीकृत मतदाता हो, (ग) वह स्वस्थचित्त हो, (घ) वह अनुन्मोचित दिवालिया न हो, (ड) वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के या राज्य के किसी मण्डी समिति के अधीन कोई लाभ का पद न धारण करता हो, (च) वह सम्बन्धित जिला पंचायत का सदस्य हो, यदि नाम निर्देशन जिला पंचायत से किया जाना हो, (छ) वह सम्बन्धित क्षेत्र पंचायत का सदस्य हों, यह नाम निर्देशन नगरीय स्थानीय निकाय से किया जाना हो, (ज) वह संबधित नगरीय स्थानीय निकाय का सदस्य हो यदि नाम निर्देशन नगरीय स्थानीय निकाय से किया जाना हो, (झ) वह सम्बन्धित सहकारी क्रय विक्रय समिति की प्रबन्ध समिति का सदस्य हो और सम्बन्धित मण्डी क्षेत्र में कारोबार करने के लिए लाइसेन्स प्राप्त हो, यदि नाम निर्देशन सहकारी क्रय विक्रय समितियों से किया जाना हो।	**5– मण्डी समिति की सदस्यता हेतु अर्हताएं**–(1) कोई व्यक्ति, अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (क) से (घ) के अधीन मण्डी समिति का सदस्य नाम निर्दिष्ट किये जाने के लिए अर्ह होगा, यदि :– **(क)** वह भारत का नागरिक हो और 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, **(ख)** वह सम्बन्धित मण्डी क्षेत्र में सम्मिलित मुहल्लों से विधान सभा निर्वाचन हेतु पंजीकृत मतदाता हो, (ग) वह विकृतचित्त का न हो, **(घ)**वह अनुन्मोचित दीवालिया न हो, **(ड.)**वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार या राज्य की किसी मण्डी समिति के अधीन कोई लाभ का पद न धारण करता हो, (च) वह मण्डी क्षेत्र का कृषक हो जो अपना उत्पाद विक्रय हेतु मण्डी स्थल को लाता हो और उक्त मण्डी स्थल में अधिसूचित कृषि उत्पाद का विक्रय किया हो और नामनिर्देशन के वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती अन्तिम तीन कृषि वर्षो, के दौरान उच्चतम संचयी मूल्य का प्रपत्र–छः प्राप्त किया हो। उस जिला, जिसमें प्रधान मण्डी स्थल स्थित हो, के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामनिर्दिष्ट अधिकारी जो उप जिला मजिस्ट्रेट की श्रेणी से नीचे स्तर का न हो, के हस्ताक्षर से अधिनियम की धारा–13(2) के अधीन उल्लिखित प्रत्येक श्रेणी के कम से कम तीस कृषकों की प्रपत्र–6 के आधार पर अवरोही कम में उक्त मण्डी समिति में उनके नाम से आवक संचयी मूल्य सहित सूची, सात दिनों की अवधि के

(ञ) वह सम्बन्धित मण्डी क्षेत्र के भीतर कारोबार करने वाला आढ़तियाँ हो और उसके लिए उसे अधिनियम के अधीन लाइसेन्स प्राप्त हो, यदि नाम निर्देशन आढ़तियो से किया जाना हो

(ट) वह सम्बन्धित मण्डी क्षेत्र के भीतर कारोबार करने वाला व्यापारी हो और उसके लिए उसे अधिनियम के अधीन लाइसेन्स प्राप्त हो, यदि नाम निर्देशन व्यापारियों में से किया जाना हो।

भीतर लिखित रूप में आपत्तियॉ आमंत्रित करने हेतु तैयार कर प्रकाशित की जायेगी। आपत्तियॉ, यदि कोई हो, पर विनिश्चिय, ऐसे अधिकारी द्वारा आख्यापक आदेश के माध्यम से किया जायेगा और तत्पश्चात् अन्तिम सूची तद्नुसार प्रकाशित की जायेगी। आपत्ति, तभी की जायेगी यदि वह शपथ पत्र द्वारा अनुसमर्थित हो और वह ऐसे व्यक्ति द्वारा की जा सकेगी जो उक्त मण्डी क्षेत्र का निवासी हो तथा अन्तिम पूर्ववर्ती कृषि वर्ष में उस मण्डी क्षेत्र के लाइसेंसधारी व्यापारी/आढ़तिया द्वारा जारी कम से कम एक प्रपत्र–छः अपने नाम से प्राप्त किया हो। नामनिर्दिष्ट अधिकारी ऐसी आपत्तियों पर विनिश्चय करने के लिए ऐसे साक्ष्य मंगा सकता है और इस पर विचार कर सकता है जैसा कि वह उचित समझे। जहॉ ऐसा कोई व्यक्ति, जिसका नाम सूची में हो, सदस्यता हेतु आवेदक होने से अस्वीकार करता है वहॉ, हस्ताक्षर सहित उसकी लिखित असहमति, सूची अन्तिम करने से पूर्व उक्त अधिकारी को संसूचित की जायेगी। ऐसी असहमति की पुष्टि करते हुए ऐसा अधिकारी कारण उल्लिखित करते हुए सूची से उसका नाम हटा देगा। यह प्रपत्र व अन्तिम सूचियॉ इस नियमावली से संलग्न प्रपत्र दस–क में तैयार की जायेगी, या

(छ) वह सम्बन्धित मण्डी क्षेत्र में कारोबार करने वाला एक व्यापारी हो और इसके लिए अधिनियम के अधीन अपेक्षित विधिमान्य लाइसेंस धारक हो, और जहॉ व्यापारियों में से नामनिर्देशन किया जाना हो तो ऐसे व्यापारियों द्वारा नामनिर्देशन वर्ष के

ठीक पूर्ववर्ती अन्तिम तीन कृषि वर्षो के दौरान मण्डी शुल्क के संचयी उच्चतम धनराशि का भुगतान कर दिया गया हो और नामनिर्देशन के दिनांक को उनके विरूद्व मण्डी समिति का बकाया देय न हो। अधिनियम की धारा–13(1)(ख) के अधीन कम से कम बीस व्यापारियों की उनके मण्डी शुल्क रजिस्टर अथवा अन्य सुसंगत दस्तावेजों के अनुसार उक्त मण्डी समिति में उनके द्वारा संदत्त संचयी मण्डी शुल्क मूल्य सहित सूची, अवरोही क्रम में तैयार की जायेगी तथा ऐसे नामनिर्दिष्ट अधिकारी के हस्ताक्षर से सात दिनों की अवधि के भीतर आपत्तियॉ प्राप्त करने के निमित्त प्रकाशित की जायेगी। आपत्ति केवल तभी की जा सकेगी यदि वह शपथ पत्र द्वारा अनुसमर्थित हो और ऐसे व्यक्ति द्वारा की गयी हो जिसके पास उक्त मण्डी समिति से व्यापार करने का विधिमान्य लाइसेंस हो। आपत्तियॉ यदि कोई हों, पर विनिश्चय, ऐसे अधिकारी द्वारा आख्यापक आदेश के माध्यम से किया जायेगा और तत्पश्चात् अन्तिम सूची तद्नुसार प्रकाशित की जायेगी। ऐसी आपत्ति पर विनिश्चय करने के लिए नामनिर्दिष्ट अधिकारी ऐसे साक्ष्य की मांग कर सकता है और उस पर विचार कर सकता है जैसा कि वह उचित समझे। जहॉ कोई व्यक्ति, जिसका नाम सूची में हो, सदस्यता के लिये अभ्यर्थी होने से अस्वीकार करता है वहॉ हस्ताक्षर सहित उसकी लिखित असहमति, उक्त अधिकारी को सूची का अन्तिम रूप दिये जाने से पूर्व संसूचित की जायेगी। ऐसी असहमति की पुष्टि करते हुए ऐसा अधिकारी कारण उल्लिखित करते हुए

सूची से उसका नाम हटा देगा। प्रपत्र और अन्तिम सूचियॉ इस नियमावली से संलग्न प्रपत्र दस–ख में तैयार की जायेंगी, या

(ज) वह सम्बन्धित मण्डी क्षेत्र में कारोबार करने वाला आढ़तिया हो और उक्त अधिनियम के अधीन अपेक्षित विधिमान्य लाइसेंस धारक हो। यदि नामनिर्देशन आढ़तियों में से किया जा रहा हो तो ऐसे आढ़तियों को नामनिर्देशन वर्ष के ठीक अन्तिम तीन कृषि वर्षो के दौरान मण्डी शुल्क की उच्चतम संचयी धनराशि का भुगतान कर दिया गया हो और नामनिर्देशन के दिनांक को मण्डी समिति का उनके विरूद्व कोई बकाया देय न हों।

अधिनियम की धारा–13(1)(ग) के अधीन कम से कम बीस आढातियों की उनकी मण्डी शुल्क रजिस्टर अथवा अन्य सुसंगत दस्तावेजों के अनुसार उक्त मण्डी समिति में मण्डी शुल्क की संचयी मूल्य सहित सूची अवरोही कम में तैयार की जायेगी तथा उक्त अधिकारी के हस्ताक्षर से सात दिवसों के भीतर लिखित में आपत्तियॉ आमन्त्रित करने के निमित्त प्रकाशित की जायेगी। आपत्ति केवल तभी की जा सकेगी यदि वह किसी शपथपत्र से अनुसमर्थित हो और ऐसे व्यक्ति द्वारा की जायेगी जिसके पास उक्त मण्डी समिति से आढ़तिया हेतु विधिमान्य लाइसेंस हो। आपत्ति, यदि कोई हो, पर विनिश्चय, ऐसे अधिकारी द्वारा आख्यापक आदेश के माध्यम से किया जायेगा और तत्पश्चात् अन्तिम सूची, तद्नुसार प्रकाशित की जायेगी। विनिश्चय करने के लिए ऐसा अधिकारी ऐसे साक्ष्य की मांग कर सकता है और उस पर विचार कर

सकता है जैसा कि वह उचित समझे। जहॉ ऐसा कोई व्यक्ति, जिसका नाम सूची में हो, सदस्यता हेतु अभ्यर्थी होने से अस्वीकार करता है वहॉ हस्ताक्षर सहित उसकी लिखित अस्वीकृति, सूची को अन्तिम रूप देने से पूर्व उक्त अधिकारी को संसूचित की जायेगी। ऐसी अस्वीकृति की पुष्टि करते हुए ऐसा अधिकारी कारण उल्लिखित करते हुए सूची से उसका नाम हटा देगा। प्रपत्र और अन्तिम सूचियॉ, इस नियमावली से संलग्न प्रपत्र दस–ग में तैयार की जायेंगी, या

(झ) वह सम्बन्धित मण्डी क्षेत्र में कार्यरत पल्लेदार या तौलक हो और अधिनियम के अधीन अपेक्षित लाइसेंस धारक हो तथा जो क्रमशः लाइसेंस धारकों, पल्लेदारों या तौलकों द्वारा स्वयं के मध्य से सर्वसम्मति से निर्वाचित हो। किसी विवाद की स्थिति में नामनिर्देशन हेतु नाम पर विनिश्चय, सम्बन्धित कलेक्टर द्वारा नामनिर्दिष्ट अधिकारी के समक्ष लाटरी निकाल कर किया जायेगा।

(2) समय समय पर यथा संशोधित लोक प्रतिनिधि अधिनियम, 1951 की धारा 8,9, 9क और 10 के अधीन उपबन्धित निरर्हतायें, किसी मण्डी समिति में नाम–निर्देशन के लिए भी यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होगी।

(3) यदि कोई नामनिर्दिष्ट सदस्य समिति की लगातार 5 बैठकों से स्वयं अनुपस्थित रहता है तो वह निरर्हित हो जाएगा और वह समिति का सदस्य होने से प्रविरत हो जायेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि यदि निदेशक, मण्डी परिषद् का यह समाधान हो जाता है कि यथापूर्वोक्त बैठकों से

सदस्य के अनुपस्थिति होने का पर्याप्त कारण है तो वह आदेश द्वारा इस आशय की घोषणा कर सकता है और तदोपरान्त इस उपनियम के अधीन अनर्हता प्रभावी न रह जाएगी

(4) यदि जिला कलेक्टर या निदेशक, मण्डी परिषद् की रिपोर्ट पर या अन्यथा रूप में राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि सदस्य, सभापति या उपसभापति नैतिक अधमता का दोषी है और उसके विरूद्ध कार्यवाही किए जाने का पर्याप्त आधार है तो राज्य सरकार ऐसे सदस्य, सभापति या उपसभापति को उसके पद से हटा सकती है, प्रतिबन्ध यह है कि उसे हटाये जाने से पूर्व सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया गया हो।

प्रतिबन्ध यह और है कि राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा यह निदेश दे सकती है कि ऐसे सुनवाई का अवसर, जिला कलेक्टर या निदेशक, कृषि मण्डी परिषद या किसी अन्य अधिकारी, जिसे वह उचित समझे, के स्तर पर प्रदान किया जाय।

नये नियम–35 का रखा जाना

4. उक्त नियमावली के अध्याय–तीन में, नियम 36 के पूर्व निम्नलिखित नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

मण्डी समिति के सभापति और उपसभापति का निर्वाचन

35–(1) रिटर्निंग अधिकारी –जिला, जहां मण्डी समिति का प्रधान मण्डी स्थल विद्यमान हो, का कलेक्टर या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट उप कलेक्टर की श्रेणी से अन्यून अधिकारी मण्डी समिति के सभापति और उपसभापति के निर्वाचन के लिए रिटर्निंग अधिकारी होगा। कलेक्टर द्वारा रिटर्निंग अधिकारी की सहायता एवं सहयोग करने के लिए तहसीलदार की श्रेणी से अन्यून कम से कम एक सहायक रिटर्निंग अधिकारी ऐसी शक्तियों एवं कृत्यों, जैसा कि रिटर्निंग अधिकारी निदेश दे, का प्रयोग करने के लिये नामनिर्दिष्ट किया जायेगा।

(2) निर्वाचन की घोषणा– जैसे ही मण्डी समितियों के सदस्यों के नामनिर्देशनों की अधिसूचना प्रकाशित की जायेगी, (ऐसी अधिसूचना प्रकाशित किये जाने के दिनांक से 10 दिन के अपश्चात्) वैसे ही कलेक्टर द्वारा या उसके द्वारा इस प्रयोजनार्थ नामनिर्दिष्ट किसी अधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्यों को पद की शपथ दिलायी जायेगी। कोई मण्डी समिति तब गठित की गयी समझी जायेगी

जब कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 सदस्य अपने पद का शपथ ग्रहण कर लिये हों। राज्य सरकार राज्य में मण्डी समितियों के सभापति एवं उपसभापति के निर्वाचन का दिनांक अधिसूचना प्रकाशित करके नियत कर सकती है।

प्रतिबन्ध यह है कि सामान्यतः राज्य सरकार ऐसे निर्वाचनों के लिए एक ही दिनांक नियत करेगी किन्तु ऐसे निर्वाचनों हेतु विभिन्न मण्डी समितियों के लिए विभिन्न दिनांक नियत किये जा सकते हैं जैसा वह उचित समझे।

जैसे ही निर्वाचित सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण कर लिया जाता है वैसे ही ऐसे नामांकित सदस्यों, जिन्होनें शपथ ग्रहण कर लिया है, की सूची प्रकाशित की जाएगी और मण्डी समिति के सूचना पट्ट पर और अन्य प्रमुख स्थानों पर चस्पा की जाएगी। नामनिर्दिष्ट सदस्य, जिन्होनें निर्वाचन की घोषणा के दिनांक को या उसके पूर्व शपथ ग्रहण कर लिया है, निर्वाचक मण्डल के सदस्य समझे जायेंगे।

राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुरूप निर्वाचन का दिनांक, समय व स्थान का प्रकाशन व्यापक रूप से स्थानीय प्रसार वाले दो समाचार पत्रों में किया जाएगा तथा मण्डी समिति के सूचना पट्ट पर भी प्रदर्शित किया जायेगा।

(3) **सभापति एवं उपसभापति के पद पर निर्वाचन हेतु नामनिर्देशन**–सभापति एवं उपसभाति के पद पर नामनिर्देशन, रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष प्रपत्र–ग्यारह में दिये गये प्रारूप में दाखिल किया जाएगा।

नामनिर्देशन प्रपत्र, निर्वाचन के दिनांक को पूर्वान्ह 10 बजे से पूर्वान्ह 12.00 बजे के मध्य रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किया जाएगा। नामनिर्देशन प्रपत्र की संवीक्षा, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा तत्काल पश्चात् की जाएगी और नामनिर्देशन उसी दिन अपरान्ह 2.00 बजे से पूर्व वापस लिया जा सकता है।

(4) **निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की सूची का प्रदर्शन किया जाना**–निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों के नाम मण्डी समिति के सूचना पट्ट पर रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर से तत्काल प्रदर्शित किये जायेंगे।

(5) **निर्वाचन प्रक्रिया**–सभापति एवं उपसभापति का निर्वाचन, गुप्त मत–पत्र से जिसमें निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों के नाम, पिता का नाम व पता तथा फोटो अन्तर्विष्ट होगा, से किया जायेगा और निर्विरोध प्रत्याशी अथवा सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला प्रत्याशी निर्वाचित घोषित किया जाएगा। समान होने की दशा में विनिश्चय लाटरी के आधार पर किया जाएगा।

(6) मतदाता के चयन को, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उसे संसूचित तथा यथा विहित रूप में प्रदत्त उपकरण से ही चिन्हित किया जायेगा।

(7) सभापति एवं उपसभापति के निर्वाचन का संचालन एक साथ और पृथक--पृथक किया जाएगा।

(8) **परिणामों की घोषणा**–मतदान अपरान्ह 3.00 बजे आरम्भ होकर अपरान्ह 4.00 बजे बन्द हो जायेगा। इसके तुरन्त बाद रिटर्निंग अधिकारी द्वारा मतों की गणना की जाएगी। रिटर्निंग अधिकारी, निर्वाचित सभापति और उपसभापति के

नामों की घोषणा, प्रपत्र बारह–क में करेगा तथा तत्पश्चात् उन्हें प्रपत्र बारह–ख में प्रमाणपत्र भी सौंपा जायेगा। ऐसी घोषणा के तत्काल पश्चात् निर्वाचित सभापति एवं उपसभापति के नाम कलेक्टर द्वारा अपने हस्ताक्षर एवं मुहर से निदेशक, मण्डी परिषद और प्रमुख सचिव, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को प्रेषित किये जाएंगे।

(9) ऐसे निर्वाचन के विरूद्ध निर्वाचन याचिका, निर्वाचन परिणाम घोषित होने के 30 दिन के भीतर, राजस्व मण्डल के आयुक्त के समक्ष दाखिल की जा सकती है।

नियम–36 का संशोधन

5. उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये नियम 36 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
36. पद की शपथ–धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (क) सें (छ) के अधीन सदस्यों के रूप में नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों को उनके नाम निर्देशन के पश्चात् यथाशीघ्र कलेक्टर या उसके नाम निर्देशिती द्वारा ऐसे स्थान और समय पर जैसा वह इस प्रयोजन के लिए निश्चित करें, निम्नलिखित रीति से पद की शपथ दिलायी जायेंगीं।	**36. पद की शपथ**–धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (क) से (घ) के अधीन सदस्यों के रूप में नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों और सभापति एवं उपसभापति के रूप में निर्वाचित व्यक्तियों को सदस्य के रूप में नामनिर्देशन तथा सभापति एवं उपसभापति के रूप में निर्वाचन के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र कलेक्टर या उसके नामनिर्देशिती द्वारा निम्नलिखित रूप से उस स्थान, दिनांक व समय, जिन्हें उक्त प्रयोजनार्थ उसके द्वारा नियत किया जाय, पर शपथ दिलायी जायेगी।
शपथ मै.....(नाम) शपथ लेता हूँ कि मै विधि द्वारा यथास्थिति "भारत का संविधान" के प्रति विश्वास और निष्ठा रखूँगा और उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 के उद्देश्यों को पूरा करने में बिना भय या पक्षपात स्नेह या द्वेष के सद्भावनापूर्वक, नियमानुसार अपने कर्तव्यों का पालन करूँगा, अतः ईश्वर मेरी मदद करें। और शपथ दिलाने के पश्चात् यथास्थिति कलेक्टर या उसका	शपथ मै.....(नाम) शपथ लेता हूँ कि मैं 'भारत का संविधान' के प्रति उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम,1964 के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सच्ची श्रृद्धा एवं निष्ठा रखूंगा और बिना भय या पक्षपात, स्नेह या द्वेष के सदभावनापूर्वक नियमानुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा अतः ईश्वर मेरी मदद करें। और शपथ दिलाने के पश्चात् यथास्थिति कलेक्टर या उसका नामनिर्देशिती निदेशक को तत्काल

मनोनीत व्यक्ति निदेशक को तत्काल सूचना भेजेगा।
सूचना भेजेगा।

अध्याय–चार–क का बढ़ाया जाना

6. उक्त नियमावली में, अध्याय–चार के पश्चात् निम्नलिखित नया अध्याय बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :–

अध्याय चार–क

मण्डी उपस्थल की घोषणा, सीधी व निजी मण्डियों के लाइसेंस और सम्बन्धित विषय

मण्डी उप स्थल की घोषणा

58–क (1) यथास्थिति भण्डार गृह, साइलो, शीतगृह या अन्य ऐसी संरचना या स्थानों, जिनकी भण्डारण क्षमता अन्यून पॉच हजार टन की हो, के स्वामी, जो ऐसे स्थान को मण्डी उप स्थल घोषित किये जाने का इच्छुक हो, को अधिनियम की धारा–7क(1) के अधीन प्रपत्र–तेरह में निदेशक, कृषि विपणन या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को आवेदन करना होगा।

(2) ऐसे आवेदन के लिए शुल्क न्यूनतम तीन वर्ष की अवधि के लिये प्रति वर्ष दो हजार रूपये और बीस वर्ष के लिये बीस हजार रूपये होगा और पाँच लाख रूपये की प्रतिभूति भी प्रस्तुत करनी होगी।

(3) निदेशक, कृषि विपणन आवेदक के दस्तावेजों तथा उसकी उपयुक्तता की जांच करेगा और उसे ऐसे अभिलेखों को प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दे सकता है, जो उपमण्डी स्थल के संचालन हेतु आवश्यक हों और राज्य सरकार से उसे साठ दिनों के भीतर सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा उपमण्डी स्थल घोषित करने के लिये सिफारिश कर सकता है।

प्रतिबन्ध यह है कि निदेशक, कृषि विपणन अपने अधीनस्थ अधिकारी को आवेदन पत्र में वर्णित विवरणों का सत्यापन करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है।

प्रतिबन्ध यह और है कि यदि निदेशक, कृषि विपणन इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि आवेदक का मामला, मण्डी उपस्थल घोषित किये जाने हेतु सिफारिश किये जाने के लिए उपयुक्त नही है तो आवेदक को इस प्रयोजनार्थ सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जाएगा।

(4) मण्डी उपस्थल में व्यापारी, दलाल, आढ़तिया, गोदाम परिचालक, तौलक या पल्लेदार के रूप में कारोबार या कार्य कर रहे व्यक्ति या व्यक्तियों को सम्बन्धित मण्डी समिति से उपयुक्त लाइसेंस प्राप्त करना होगा और अधिनियम तथा नियमावली के उपबन्धों के अनुसार कार्य करना होगा।

प्रधान मण्डी स्थल, उपमण्डी स्थल, मण्डी उपस्थल, निजी मण्डी स्थल से बाहर कृषको से सीधी थोक क्रय की व्यवस्था हेतु लाइसेंस प्रदान किया जाना/ नवीकरण किया जाना

58–ख (1) कोई व्यक्ति, जिसमें कृषक सहकारी समूह, कृषक उत्पादक संगठन तथा प्रसंस्करणकर्ता/निर्यातकर्ता सम्मिलित हों, जो मुख्य मण्डी स्थल/मण्डी उपस्थल/उपमण्डी स्थल/निजी मण्डी स्थल से बाहर उत्पादन क्षेत्र के निकट आधारभूत संरचना विशेषतः स्थाई/अस्थाई गोदाम, तौलाई की सुविधा और कृषकों हेतु अन्य सामान्य सुविधाऐं सहित संग्रह/संकलन केन्द्र के रूप मे कृषकों से सीधे कृषि उत्पाद खरीदने का इच्छुक हो, धारा–7(ख) के अधीन प्रपत्र चौदह में निदेशक, कृषि विपणन को संरचना का विवरण और प्रपत्र में विहित अन्य सूचनाओं के साथ आवेदन करेगा।

(2) आवेदक, वित्तीय प्रास्थिति, सहायक दस्तावेजों सहित संसाधनों का विवरण, बैंक–विवरण, गत तीन वर्षों की आयकर विवरणी, स्थायी परिसम्पत्तियों एवं देयताओं की सूची और कम्पनी के मामले में संगम ज्ञापन एवं संगम अनुच्छेद तथा उत्पादक विक्रेता से विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद सीधे क्रय करने हेतु आवेदक की विश्वसनीयता को दर्शाने वाले अन्य दस्तावेजों को प्रस्तुत करेगा।

(3) सीधे विपणन के लिए प्रत्येक क्रय केन्द्र हेतु एक लाख रूपये की प्रतिभूति सहित लाइसेंस शुल्क, एक हजार रूपये प्रति वर्ष या 10,000 रूपये बीस वर्षों हेतु होगा।

प्रतिबन्ध यह है कि यदि लाइसेंस की शर्तों का अनुपालन न करने से भिन्न किसी कारण से लाइसेंस स्वीकृत या नवीकृत नहीं किया जाता है तो आवेदक द्वारा संदत्त लाइसेंस शुल्क की धनराशि तथा प्रतिभूति धनराशि का प्रतिसंदाय, प्रक्रिया लागत के रूप में शुल्क से दस प्रतिशत कटौती करने के पश्चात् किया जायेगा।

(4) आवेदक एक या अधिक मण्डी क्षेत्रों में, एक या अधिक सीधे क्रय केन्द्रों हेतु आवेदन कर सकता है।

(5) निदेशक, कृषि विपणन किसी ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारियों, जिन्हें वह उचित समझे, के परामर्श से प्रस्ताव का परीक्षण करेगा और सुधार हेतु आवश्यक उपायों का सुझाव दे सकता है अथवा स्वयं का समाधान करने के पश्चात् प्रपत्र चौदह–क में लाइसेंस स्वीकृत कर सकता है।

(6) लाइसेंस प्राधिकारी जैसे ही लाइसेंस जारी करेगा वैसे ही उसकी सूचना सम्बन्धित मण्डी समिति व निदेशक, मण्डी परिषद को देगा।

(7) सीधा क्रय लाइसेंस धारी विक्रेता को क्रय करने के बहत्तर घन्टों के भीतर उत्पाद के मूल्य का भुगतान करेगा।

(8) **लाइसेंस का नवीकरण–**

सीधा क्रय केन्द्र लाइसेंसधारी, लाईसेन्स के नवीकरण के लिए आवेदन प्रपत्र–15 में निदेशक, कृषि विपणन को प्रस्तुत करेगा और ऐसा अधिकारी आवश्यक पूँछताछ, जिन्हें वह उचित समझे, करने के पश्चात् कृषकों या उत्पादक–विक्रेताओं से विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद क्रय करने हेतु सीधा विपणन केन्द्र का लाइसेंस नवीकृत कर सकता है।

(9) लाईसेन्स नवीकरण का प्रत्येक आवेदन, उसकी अवधि समाप्त होने के कम से कम एक माह पूर्व किया जाएगा। यदि आवेदक द्वारा लाईसेन्स नवीकरण के लिये किया गया आवेदन अधिनियम और नियमावली के उपबंधों के अनुसार हो तो आवेदक को तब तक सम्यक रूप से लाइसेंस प्राप्त समझा जाएगा जब तक कि आवेदन से अन्यथा आदेश पारित न किया जाए। जहॉ लाइसेंस नवीकरण के लिये आवेदन, देय दिनांक के पश्चात् प्रस्तुत किया जाता है वहॉ आवेदक द्वारा प्रत्येक क्रमवर्ती तीस दिनों के लिये पॉच सौ रूपये विलम्ब शुल्क संदेय होगा।

(10) यदि सीधा केता, अधिनियम या नियमावली के उपबंधों अथवा लाइसेन्स की शर्तों का अनुपालन करने में विफल रहता है तो उसका

लाइसेन्स निदेशक, कृषि विपणन द्वारा निलम्बित अथवा रद्द किया जा सकता है।

प्रतिबन्ध यह है कि लाइसेन्स रद्द करने के पूर्व निदेशक, कृषि विपणन लाइसेंसधारी को प्रस्तावित कार्यवाही के विरूद्व कारण दर्शाने हेतु युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगा।

(11) निदेशक, कृषि विपणन के आदेश या अन्यथा रूप में व्यथित कोई व्यक्ति प्रमुख सचिव, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में अपील कर सकता है।

निजी मण्डी स्थल की स्थापना हेतु लाइसेंस स्वीकृत किया जाना

58–ग (1) अधिनियम की धारा 7–घ और 9 के उपबन्धों के अध्यधीन कोई व्यक्ति जो एक या अधिक मण्डी क्षेत्रों में, निजी मण्डी स्थल स्थापित करने का इच्छुक हो, इस प्रयोजनार्थ लाइसेंस स्वीकृति हेतु लिखित रूप में निदेशक, कृषि विपणन को प्रपत्र– सोलह में, आवेदन पत्र में उपलब्ध कराये गये विवरण के समर्थन में दस्तावेजों सहित आवेदन प्रस्तुत करेगा।

(क) निजी मण्डी स्थल लाइसेंसधारी, अवसंरचनात्मक सुविधाओं यथा उत्पाद की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने हेतु नीलामी हालों, शेड्स, दुकानों, गोदामों, भण्डारों, कैण्टीन, प्रयोगशाला, सुविधाओं, श्रेणीकरण व पैकेजिंग सुविधाओं, लोडिंग व अनलोडिंग स्थलों, मण्डी दरों का इलेक्ट्रॉनिक प्रदर्शन, इलेक्ट्रांनिक तुला चौकियों, आंतरिक सड़कों, पेयजल तथा स्वच्छता सुविधाओं इत्यादि का उपबंध करते हुए स्थल का विकास प्रबंधन एवं नियंत्रण, भूमि की लागत को अपवर्जित करते हुए नीचे यथा विनिर्दिष्ट अन्यून धनराशि के विनिधान से की जायेगी।

(एक) दस करोड़ रूपये, कानपुर, लखनऊ, बरेली, बाराबंकी, वाराणसी, आगरा, ललितपुर, गोरखपुर, इलाहाबाद, शाहजहाँपुर, लखीमपुर, गाजियाबाद, मेरठ, गौतमबुद्व नगर, अलीगढ़, मुरादाबाद, सहारनपुर जैसे नगरों के लिए।

(दो) पॉच करोड़ रूपये अन्य जिला मुख्यालयों तथा अन्य स्थानों के लिए।

(ख) निजी मण्डी स्थल की स्थापना हेतु चिन्हित भूमि पर उसका स्पष्ट हक तथा कब्जा होना चाहिए। निजी मण्डी स्थल के स्थापना हेतु ऐसी भूमि का विस्तार निम्न से कम न होगा:–

(एक) उपनियम(1) के खण्ड (क) के उपखण्ड(एक) में सूचीबद्व नगरों के नगर निगम/नगर पालिका क्षेत्रों के सम्बन्ध में दो हेक्टेयर।

(दो) उपनियम(1) के खण्ड (क) के उपखण्ड(एक) में सूचीबद्व नगरों के नगर पालिका/नगर निगम क्षेत्र के बाहर किन्तु उसकी सीमाओं के 08 कि0मी0 त्रिज्या के क्षेत्र में तीन हेक्टेयर।

(तीन) किसी अन्य क्षेत्र के संबंध में चार हेक्टेयर।

(ग) विद्यमान स्थापित प्रधान मण्डी स्थल से पॉच किलोमीटर तथा विद्यमान उपमण्डी स्थल या मण्डी उपस्थल से तीन किलोमीटर की परिधि में किसी स्थान पर इस नियम के अधीन कोई निजी मण्डी स्थापित नहीं की जायेगी।

(2) किसी निजी मण्डी स्थल हेतु तीन वर्ष या उसके आंशिक भाग के लिये लाइसेंस स्वीकृत या नवीकृत किये जाने हेतु संदेय लाइसेंस शुल्क नीचे

यथा विनिर्दिष्ट रूप में होगा जो निदेशक, कृषि विपणन, उत्तर प्रदेश के पक्ष में डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा संदेय होगा:–

(एक) उपनियम(1) के खण्ड (क) के उपखण्ड(एक) में सूचीबद्व नगरों के लिए दो लाख रूपये।

(दो) अन्य स्थानों के लिए एक लाख रूपये।

प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी कारण से लाइसेंस स्वीकृत/नवीकृत नहीं किया जाता है तो आवेदक द्वारा संदत्त लाइसेन्स शुल्क की धनराशि दस प्रतिशत प्रक्रिया शुल्क के रूप में कटौती करने के पश्चात् वापस की जा सकती है।

(3) निदेशक, कृषि विपणन प्रपत्र–सोलह–क में अनुरक्षित पंजिका में आवेदन की प्राप्ति का दिनांक अभिलिखित करने की व्यवस्था करेगा और परियोजना रिपोर्ट का मूल्यांकन करेगा। वह सम्बन्धित क्षेत्र के उप निदेशक, प्रशासन/विपणन या किसी अन्य प्राधिकारी, जिसे वह उपयुक्त समझे, से परामर्श करके निजी मण्डी स्थल में ऐसे युक्तियुक्त सुधारों, जिन्हें वह उचित समझे, हेतु सृजित एवं उपबंधित की जाने वाली सुविधाओं के लिए सुझाव दे सकता है।

(4) निदेशक, कृषि विपणन, आवेदन प्रस्तुत किये जाने के दिनांक से मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर साठ दिनों के भीतर :

(क) परियोजना प्रारम्भ करने हेतु पूर्ण किये जाने की अवधि, नयी परियोजना होने की स्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं होगी, को विनिर्दिष्ट करते हुए अनुज्ञा पत्र जारी कर सकता है।

या

(ख) लिखित रूप में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से अनुज्ञा पत्र जारी करने से अस्वीकार कर सकता है और इसे आवेदक को संसूचित कर देगा।

अग्रतर यह कि इस नियम के अधीन कोई अस्वीकृति पत्र तब तक जारी नहीं किया जायेगा जब तक आवेदक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया जाता है।

(5) नई परियोजना के मामले में, आवेदक परियोजना, ऐसे अनुज्ञा पत्र में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर पूर्ण करेगा और यदि आवेदक विनिर्दिष्ट अवधि में परियोजना पूरा करने में विफल रहता है तो वह निदेशक, कृषि विपणन को अवधि बढ़ाये जाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए आवेदन कर सकता है। निदेशक, कृषि विपणन परियोजना का निरीक्षण करने के पश्चात् अनधिक एक वर्ष के लिए समय बढ़ाने की अनुज्ञा दे सकता है। यदि परियोजना बढ़ायी गयी अवधि में पूर्ण नहीं की जा सकती है तब एक लाख रूपये का शुल्क, एक वर्ष की अवधि या उसके आंशिक भाग के लिए विलम्ब हेतु माफी देने के लिए उद्गृहीत किया जायेगा।

(6) नई परियोजना के मामले में, परियोजना पूर्ण होने के पश्चात् और आवेदन के समय विद्यमान परियोजनाओं हेतु आवेदक, निदेशक, कृषि विपणन को ऐसे तथ्यों की लिखित सूचना देगा। निदेशक, कृषि विपणन, ऐसा निरीक्षण

और जांच, जैसा कि वह आवश्यक समझे, करने के पश्चात् उक्त अधिनियम की धारा 7–घ के अधीन जारी आदेश द्वारा साठ दिन की अवधि के भीतर विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद के विपणन के विनियमन हेतु निजी मण्डी स्थल के संबंध में घोषणा करेगा।

(7) उपधारा (6) के अधीन आदेश जारी करने के पश्चात्, निदेशक, कृषि विपणन, अधिनियम की धारा 9 के उपबंधों के अध्यधीन, प्रपत्र सोलह–ख में निजी मण्डी स्थल की स्थापना हेतु विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन लाइसेंस स्वीकृत कर सकता है।

(8) लाइसेंस प्राधिकारी, लाइसेंस जारी करने के पश्चात् सम्बन्धित मण्डी समिति और निदेशक, मण्डी परिषद् को तत्काल सूचित करेगा।

(9) कृषि उत्पाद का विपणन प्रारम्भ करने के पूर्व आवेदक, निदेशक, कृषि विपणन को एक अप्रतिसंहरणीय और सतत् बैंक प्रत्याभूति या नकदी प्रतिभूति, जैसा कि नीचे उल्लिखित है या ऐसी धनराशि जो पूर्ववर्ती वर्ष के वार्षिक व्यापारवर्त के 0.5 प्रतिशत के बराबर है, जो भी अधिक हो, जमा करेगा।

(एक) उपनियम(1) के खण्ड (क) के उपखण्ड(एक) में सूचीबद्व नगरों के लिए–पचास लाख रूपये।

(दो) अन्य स्थानों के लिए पच्चीस लाख रूपये।

प्रतिबन्ध यह है कि विपणन के प्रथम वर्ष में बैंक प्रत्याभूति या नकद प्रतिभूति वही धनराशि होगी जो उपर्युक्त नियम 58–ग के उप नियम–9 के खण्ड (एक)(दो) में उल्लिखित है।

(10) निजी मण्डी स्थल का लाइसेंसधारी, लाइसेंस नवीकरण हेतु प्रपत्र–सोलह में लाईसेन्स शुल्क एवं प्रतिभूति, जो नये लाईसेन्स शुल्क एवं प्रतिभूति के बराबर हो, के साथ आवेदन, निदेशक, कृषि विपणन को प्रस्तुत करेगा और अपेक्षित अन्य सूचना उपलब्ध करायेगा। निदेशक, कृषि विपणन ऐसी जांच जिन्हें, वह उचित समझे, करने के पश्चात्, निजी मण्डी स्थल के लाइसेंस का नवीकरण, विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद के विपणन हेतु कर सकता है।

(11) निदेशक, कृषि विपणन लिखित रूप में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से आवेदक को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् ऐसे आवेदक, जो अधिनियम या नियमावली के अधीन या तो दिवालिया है या अन्यथा रूप में निरर्ह है, को लाइसेंस स्वीकृत करने से अस्वीकार कर सकता है या उसे नवीकृत करने से अस्वीकार कर सकता हैं।

प्रतिबन्ध यह है कि इस उप नियम के अधीन कोई आदेश आवेदक को तब तक नहीं किया जायेगा जब तक उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर नहीं प्रदान कर दिया जाता है।

(12) उपधारा (8) के अधीन स्वीकृत लाइसेंस तीन कृषि वर्षों के लिये प्रवृत्त रहेगा।

(13) लाइसेंस नवीकरण हेतु प्रत्येक आवेदन उसकी अवधि समाप्त होने के कम से कम एक माह पूर्व किया जायेगा।

(14) ऐसे निजी मण्डी स्थल लाइसेंसधारी, यदि वह क्रेता हो, सहित प्रत्येक क्रेता को नियमावली के अनुसार उपयोक्ता प्रभार का भुगतान करना होगा।

(15) निदेशक, कृषि विपणन, सामान्य आदेश द्वारा लाइसेंस की शर्त स्वरूप व्यापारिक प्रभारों की ऊपरी सीमा नियत करेगा।

(16) ऊपर उल्लिखित प्रक्रिया का पूर्णतः या अंशतः निष्पादन इलेक्ट्रानिक रूप से किया जायेगा।

धारा 33(ग) के अधीन स्वीकृत /नवीकृत लाइसेंस को निलम्बित या रद्द करने की निदेशक, कृषि विपणन की शक्ति

58–घ (1) धारा 33 घ के अधीन उपबंधों के अध्यधीन यदि प्रयोक्ता प्रभार का अंश, निदेशक, कृषि विपणन के खाते में तीन माह की अवधि के लिये पूर्णतः नहीं जमा है, तो निदेशक, कृषि विपणन द्वारा निजी मण्डी स्थल का लाइसेंस निलम्बित या निरस्त किया जा सकता है।

उपयोक्ता प्रभार के अंश का भुगतान प्रत्येक माह के 15 दिनांक को किया जायेगा, जिसमें विफल रहने पर दो प्रतिशत प्रतिमाह की दर से उस पर ब्याज प्रभारित किया जायेगा।

(2) लाइसेंस की अस्वीकृति, रद्दकरण या निलम्बन की सूचना–
यथास्थिति लाइसेंस की अस्वीकृति या रद्दकरण या निलंबन की सूचना, निदेशक, कृषि विपणन द्वारा सम्बन्धित व्यक्ति को नीचे यथा उपबंधित रीति से दी जायेगी–

(क) ऐसे आदेश की प्रति उसे व्यक्तिगत रूप से परिदत्त या निविदत्त करके, या

(ख) उसे रजिष्ट्रीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से भेजकर,

(ग) ऐसा आदेश सम्बन्धित व्यक्ति को, उसकी प्रति, व्यक्तिगत रूप से परिदत्त किये जाने या रजिष्ट्रीकृत डाक से प्रेषित किये जाने या उसके द्वारा उसकी प्राप्ति अस्वीकृति किये जाने के दिनांक को संसूचित किया गया समझा जायेगा।

(3) लाइसेंस जारी करने/नवीकृत करने से अस्वीकार किया जाना–
निदेशक, कृषि विपणन लिखित रूप में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से लाइसेंस स्वीकृत या नवीकृत करने से अस्वीकार कर सकता है।

(4) निदेशक, कृषि विपणन के आदेश अथवा अन्यथा रूप में क्षुब्ध कोई व्यक्ति प्रमुख सचिव, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को तीस दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में अपील कर सकता है।

नियम 76–ख का बढ़ाया जाना

ई–व्यापारकरण

7. **उक्त नियमावली में, नियम–76क के पश्चात् निम्नलिखित नियम बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:–**

76–ख. (1) इस नियमावली में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी अधिनियम एवं नियमावली के उपबंधों के अनुसार ई–व्यापारकरण विधिक होगा और व्यापार का विधिमान्य तरीका होगा।

(2) इस नियमावली के अधीन किसी समिति द्वारा अनुरक्षित तथा प्रयुक्त कोई पंजी या पुस्तिका का अनुरक्षण तथा प्रयोग, इलेक्ट्रानिक प्लेटफार्म पर या डिजीटल प्रारूप में किया जा सकता है।

(3) इस नियमावली के अधीन परिभाषित किसी प्रारूप का अनुरक्षण इलेक्ट्रानिक या डिजिटल रूप से पूर्णतः या आंशिक रूप में किया जा सकता

है।

नियम 103 तथा 104 का संशोधन

8. उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये नियम 103 तथा 104 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिये गये नियम रख दिये जायेंगे, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
103. वार्षिक प्रतिवेदन तथा पक्का चिट्ठा – धारा 40(2)(13) देखिए) –प्रत्येक कृषि वर्ष की समाप्ति पर, समिति एक वार्षिक पक्का चिट्ठा ऐसे प्रपत्र में जो उसकी उपविधियों में निर्दिष्ट की जाए, तैयार करेगी और एक वार्षिक प्रतिवेदन भी तैयार करेगी और प्रत्येक वर्ष 30 सितम्बर तक उक्त पक्का चिट्ठा तथा वार्षिक प्रतिवेदन की प्रतिलिपियॉ निदेशक को प्रस्तुत करेगी।	**103. वार्षिक प्रतिवेदन तथा तुलनपत्र – धारा 40(2)(तेरह)** –प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर, समिति अपनी उपविधियों में यथा विनिर्दिष्ट प्रपत्र में वार्षिक तुलनपत्र तैयार करेगी और एक वार्षिक प्रतिवेदन भी तैयार करेगी और प्रत्येक वर्ष 30 जून तक उक्त तुलनपत्र तथा वार्षिक प्रतिवेदन की प्रतियॉ निदेशक को प्रस्तुत करेगी।
104. लेखे, उनकी लेखा परीक्षा तथा निरीक्षण–(धारा 40(2)(12) तथा 16(2)(9) देखिए–(1) मण्डी समिति के लेखे पुस्तक–पालन(book keeping) की एकल प्रविष्टि प्रणाली में कृषि वर्ष के अनुसार रखे और संधारित किए जाएंगे और अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (2) के खण्ड(9) के अधीन लेखा परीक्षा कराई जाएगी। (2) समिति के लेखों की लेखा परीक्षा प्रतिवर्ष स्थानीय निधि लेखा परीक्षक द्वारा की जाएगी। (5) स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, लेखा परीक्षा के पश्चात् दो भागों में लेखा परीक्षा प्रतिवेदन तैयार करेगा। भाग 1 में आपत्ति विवरण–पत्र जिसमें प्राविधिक अनियमितताएं होंगे और भाग 2 में लेखा परीक्षा टिप्पणी होगी, जिसमें ऐसे सामान्य और महत्वपूर्ण विषय होंगे जिन पर मण्डी समिति का ध्यान आकर्षित करना अपेक्षित हो और स्थानीय निधि लेखा परीक्षा उक्त प्रतिवेदन में से प्रत्येक की एक–एक प्रतिलिपि मण्डी समिति तथा निदेशक	**104. लेखा, उनकी लेखा–परीक्षा तथा निरीक्षण**–(धारा 40(2)(नौ) तथा धारा 40(2)(बारह)–(1) मण्डी समिति की लेखाएं, दोहरी प्रविष्टि वाली बही खाता रखने की प्रणाली के आधार पर वित्तीय वर्ष के अनुसार रखी तथा अनुरक्षित की जायेंगी और वे अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (2) के खण्ड(नौ) के अधीन लेखा परीक्षा के अध्यधीन होंगी। (2) समिति के लेखाओं की लेखा परीक्षा, प्रतिवर्ष महालेखा परीक्षक एवं नियंत्रक के परीक्षक तथा लेखा–परीक्षक द्वारा की जायेगी। (5) महालेखा परीक्षक और नियंत्रक का परीक्षक, तथा लेखा परीक्षक, लेखा परीक्षा के पश्चात् दो भागों में लेखा परीक्षा प्रतिवेदन तैयार करेगा। भाग 1 में प्राविधिक अनियमितताओं को व्यवहृत करने करने वाला आपत्ति, विवरण–पत्र होगा और भाग 2 में मण्डी समिति के विशिष्ट ध्यानाकर्षण की अपेक्षा वाले सामान्य और महत्वपूर्ण मामलों को व्यवहरित

को प्रस्तुत करेगा।

(8) लेखा–परीक्षा प्रतिवेदनों के अनुपालन की एक यथाविधि प्रमाणीकृत प्रतिलिपि जिसमें समिति के अधिकारियों द्वारा की गयी कार्यवाही का और प्रत्येक प्रश्न पर समिति की टीका तथा निर्णय का उल्लेख होगा, लेखा–परीक्षा प्रतिवेदन की प्राप्ति के दिनांक से 90 दिन के भीतर स्थानीय विधि परीक्षक तथा निदेशक को भेजी जाएगी।

करने वाली लेखा परीक्षा टिप्पणी होगी। महालेखा परीक्षक एवं नियंत्रक का परीक्षक/लेखा परीक्षक उक्त प्रतिवेदनों की प्रत्येक की एक प्रति, मण्डी समिति तथा निदेशक को उपलब्ध करायेगा।

(8) समिति के अधिकारियों द्वारा कृत कार्यवाही को दर्शाने वाले लेखा परीक्षक, प्रतिवेदन का सम्यक रूप में अधिप्रमाणित अनुपालन और प्रत्येक बिन्दु पर समिति की टिप्पणियां एवं विनिश्चय, महालेखा परीक्षक तथा नियंत्रक के परीक्षक/लेखा–परीक्षक को तथा निदेशक को लेखा–परीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के दिनांक के नब्बे दिनों के भीतर प्रेषित किये जायेंगे।

नियम 137 का संशोधन

9. उक्त नियमावली में, नियम 137 में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये, उप नियम (1) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उप नियम रख दिया जायेगा, अर्थात–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
137–(1) ऐसी नई प्रसंस्करण इकाई, जिसके संयंत्र और मशीनरी की लागत पॉच करोड़ या उससे अधिक हो, मण्डी शुल्क से छूट या उसमें कमी के लिए विहित प्रपत्र सोलह में यथाविनिर्दिष्ट दस्तावेजों और संलग्नकों तथा प्रसंस्करण शुल्क के रूप में सम्बन्धित मण्डी समिति के पक्ष में रू0 20,000 के बैंक ड्राफ्ट के साथ मण्डलायुक्त के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकती है। आवेदन–पत्र प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर मण्डलायुक्त उक्त आवेदन–पत्र को सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी को आख्या हेतु अग्रसारित कर देगा।	137–(1) ऐसी नव स्थापित कृषि प्रसंस्करण इकाई, जिसके संयंत्र और मशीनरी की लागत, पॉच करोड़ या उससे अधिक हो, मण्डी शुल्क से छूट या उसमें कमी के लिए विहित प्रपत्र सोलह में यथाविनिर्दिष्ट समस्त सुसंगत दस्तावेजों और संलग्नकों तथा प्रसंस्करण शुल्क के रूप में सम्बन्धित मण्डी समिति के सचिव के पक्ष में 20,000 रूपये के बैंक ड्राफ्ट के साथ सम्बन्धित मण्डलायुक्त को आवेदन कर सकती है। आवेदन–पत्र प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर मण्डलायुक्त उक्त आवेदन–पत्र को सम्बन्धित जिले के जिला मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट हेतु अग्रसारित कर देगा। प्रतिबन्ध यह है कि नव स्थापित प्रसंस्करण इकाई, जो मण्डी शुल्क से छूट अथवा कमी की इच्छुक हो, अपनी स्थापना के दिनांक से 06 माह

के भीतर आवेदन करेगी।

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त मण्डी शुल्क से छूट, प्लांट और मशीनरी की लागत से अधिक नहीं होगी।

प्रपत्र एक, दो, तीन, चार और चार–क का निकाला जाना

10. उक्त नियमावली में, प्रपत्र संख्या –एक, दो, तीन, चार और चार–क निकाल दिये जायेंगे।

नियमावली में नये प्रपत्रों का बढ़ाया जाना

11. उक्त नियमावली में, प्रपत्र 10 के पश्चात् निम्नलिखित प्रपत्र बढ़ा दिये जायेंगेः–

प्रपत्र–दस–क
(नियम 5(1)(च))

क्रम सं.	कृषक का नाम	पिता का नाम	पूरा पता	उत्तर प्रदेश में उसके द्वारा धारित कुल भूमि का क्षेत्रफल	विगत तीन कृषि वर्षों में प्रपत्र–6 पर विक्रीत संचयी मूल्य			
					वर्ष	वर्ष	वर्ष	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9

प्रपत्र–दस–ख
(नियम 5(1)(छ))

क्रम सं.	व्यापारी का नाम	पिता का नाम	पूरा पता	विगत तीन कृषि वर्षों में मण्डी शुल्क का संचयी मूल्य			
				वर्ष	वर्ष	वर्ष	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8

प्रपत्र–दस–ग
(नियम 5(1)(ज))

क्रम सं.	आढतिया का नाम	पिता का नाम	पूरा पता	विगत तीन कृषि वर्षों में मण्डी शुल्क का संचयी मूल्य			
				वर्ष	वर्ष	वर्ष	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8

प्रपत्र–ग्यारह
(नियम 35 तीन देखें)
नाम निर्देशन पत्र
मण्डी समिति के सभापति/उपसभापति पद का निर्वाचन

टिकट के आकार का नवीनतम 2सेमी×2.5सेमी का छायाचित्र

(नीचे भाग एक या भाग दो मे जो लागू न हो उसे काट दें)

भाग–एक

मै मण्डी समिति..... जिला..... से सभापति/उपसभापति पद के निर्वाचन हेतु प्रत्याशी के रूप में नामनिर्देशित करता हूँ।
प्रत्याशी का नाम..... पिता/माता/पति का नाम.....
उसका डाक का पता..... उसका नाम सभा निवार्चन क्षेत्र के लिए(विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में सम्मिलित) निर्वाचक नामावली के भाग सं0..... ..... के क्र0सं0..... पर प्रविष्ट और वह उपरिलिखित मण्डी समिति का एक सदस्य है।

दिनांक ..... प्रस्तावक का हस्ताक्षर.....

भाग–दो

मैं, भाग एक मे उल्लिखित प्रत्याशी (जो लागू न हो उसे काट दें) इस नाम निर्देशन हेतु सहमति देता हूँ और एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ –

(क) यह कि मै भारत का नागरिक हूँ और मैने किसी विदेशी राज्य/राष्ट्र की नागरिकता नहीं ग्रहण की है।

(ख) यह कि मैने..... वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है।

(ग) यह कि मेरा नाम और मेरे पिता/माता/पति का नाम ठीक वर्तनी में..... .....है; (भाषा का नाम)

(घ) मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, मैं मण्डी समिति.....जिला..... के सभापति/उपसभापति के रूप में निर्वाचित किये जाने हेतु अर्ह हूँ और निरर्हित भी नहीं हूँ।

दिनांक ..... प्रत्याशी का हस्ताक्षर

भाग–तीन

(1) क्या प्रत्याशी–

(एक) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951(अधिनियम संख्या 43 सन् 1951) की धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन किन्हीं अपराध(अपराधों) का, या उसकी उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी विधि का उल्लंघन करने के लिये दोष सिद्व ठहराया गया है, (हाँ /नहीं) या

(दो) किसी ऐसे अपराध/अपराधो के लिए दोष सिद्ध ठहराया गया है जिसके लिये उसे दो वर्ष या अधिक का कारावास दिया गया हो।

यदि उत्तर "हाँ" है तो प्रत्याशी निम्नलिखित सूचनाएं देगा :

(क) मुकदमा/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं

(ख) पुलिस थाना..... जिला..... राज्य..... धारा/(धाराएं).....

(ग) सम्बन्धित अधिनियम(अधिनियमों) की धारा(धाराएं) और अपराध(अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके लिए उसे दोष सिद्ध किया गया है.....
.....

(घ) दोष सिद्ध का/ के दिनांक.....

(ड.) न्यायालय जिसने अभ्यर्थी को दोष सिद्ध किया है.....

(च) अधिरोपित दण्ड (कारावास की अवधि और/या जुर्माने की मात्रा इंगित करें).....

(छ) कारावास से अवमुक्त होने का दिनांक.....

(ज) क्या उपरोक्त दोष सिद्धि के विरूद्ध कोई अपील/पुनरीक्षण दाखिल किया गया था..... ..... (हाँ/नहीं)

(झ) दाखिल किये गये पुनरीक्षण हेतु अपील(अपीलों) हेतु आवेदन (आवेदनों) का दिनांक और विवरण .....

(ञ) न्यायालय का नाम जिसके समक्ष पुनरीक्षण हेतु अपील/आवेदन दाखिल किया गया है..... .....

(ट) क्या पुनरीक्षण हेतु उक्त अपील/आवेदन निस्तारित कर दिया गया है या लम्बित है..... .....

(ठ) यदि पुनरीक्षण हेतु उक्त अपील/आवेदन निस्तारित कर दिया गया है

(क) निस्तारण का दिनांक.....

(ख) पारित किये गए आदेश की प्रकृति.....

(2) क्या प्रत्याशी भारत सरकार या राज्य सरकार अथवा किसी मण्डी समिति के अधीन लाभ का कोई पद धारित करता है..... (हाँ/नहीं)

यदि हॉ, पद धारण का ब्यौरा.....

(3) क्या प्रत्याशी किसी न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित किया गया है..... (हाँ/नहीं)

यदि हाँ, क्या उसे दिवालियापन से उन्मोचित कर दिया गया है.....

(4) क्या प्रत्याशी किसी विदेशी राष्ट्र के लिये निष्ठा या अनुषक्ति के अधीन है.....(हाँ/नहीं)

यदि हॉ, तो ब्यौरा दें.....

(5) क्या प्रत्याशी उक्त अधिनियम की धारा 8–क के अधीन राष्ट्रपति के आदेश से निरर्हित हो चुका है..... (हाँ/नहीं)

यदि हाँ, तो अवधि, जिसके लिए निरर्हित किया गया है.....

(6) क्या प्रत्याशी जब भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन पद धारित कर रहा था तब भ्रष्टाचार या अनिष्ठा के लिए पदच्युत किया गया था........................ (हाँ/नहीं)
यदि हाँ तो ऐसे पदच्युति का दिनांक ....

(7) क्या प्रत्याशी द्वारा सरकार से कोई विद्यमान संविदा या सरकार द्वारा वचनबद्ध कार्य के निष्पादन हेतु व्यक्तिगत सामर्थ्य या न्यास द्वारा या भागीदारी द्वारा की है जिसमें प्रत्याशी सरकार को किसी माल के संदाय के लिये अंशधारक रहा है...................... (हाँ/नहीं)
यदि हाँ किस सरकार के साथ और विद्यमान संविदा का ब्यौरा ....

(8) क्या प्रत्याशी प्रबन्ध अभिकर्ता या प्रबन्धक या किसी कम्पनी या निगम (सहकारी समिति से भिन्न) का सचिव जिसकी पूंजी में केन्द्र सरकार या राज्य सरकार का पच्चीस प्रतिशत से कम अंश न हो.................... (हाँ/नहीं)

(9) क्या प्रत्याशी को उक्त अधिनियम की धारा 10 क के अधीन आयोग द्वारा निरर्हित किया गया है............ (हाँ/नहीं)
यदि हाँ तो निरर्हता का दिनांक ....

स्थान....................................
दिनांक....................................

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

भाग—चार
(रिटर्निंग अधिकारी द्वारा भरा जायेगा)

नामनिर्देशन पत्र की क्रम संख्या.................
यह नामनिर्देशन मेरे कार्यालय पर मुझे.. (समय) को............................ (दिनांक) को प्रत्याशी/प्रस्तावक द्वारा दिया गया। (प्रस्तावक का नाम...................)

दिनांक................................

रिटर्निंग अधिकारी

भाग—पॉच
रिटर्निंग अधिकारी का विनिश्चय या नामनिर्देशन पत्र की स्वीकृति या अस्वीकृति

इस नामनिर्देशन पत्र का मैनें सुसंगत नियमों के अनुसार परीक्षण कर लिया है।
....
....
....
....

दिनांक................................

रिटर्निंग अधिकारी

................................(छेदो की कतार)................................

प्रपत्र–बारह–क

(नियम 35 आठ देखें)

(मण्डी समिति..... जिला.....की मण्डी समिति का सभापति/उप सभापति निर्वाचित किये जाने की घोषणा)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु0.....

पुत्र/पुत्री.....निवासी.....

को मण्डी समिति..... जिला..... का सभापति/उपसभापति निर्वाचित घोषित किया गया है।

रिटर्निंग अधिकारी
सभापति/उपसभापति निर्वाचन हेतु
मण्डी समिति.....
जिला.....

प्रपत्र–बारह–ख

(नियम 35 आठ देखें)

मण्डी समिति..... जिला..... के निर्वाचित सभापति/उप सभापति का प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु0.....
पुत्र/पुत्री.....निवासी.....को मण्डी समिति.....
..... जिला..... का सभापति/उप सभापति निर्वाचित घोषित किया गया है।

रिटर्निंग अधिकारी
सभापति/उप सभापति निर्वाचन हेतु
मण्डी समिति.....
जिला.....

प्रपत्र–तेरह

(नियम 58 क देखें)

मण्डी उपस्थल की घोषणा हेतु आवेदन

सेवा में,

निदेशक, कृषि विपणन
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

महोदय,

मैं/हम..... [नाम (पिता का नाम/पति का नाम), पता]..... ..... मण्डी उपस्थल की घोषणा हेतु इस आवेदन में यथा उपाबंध ब्यौरों सहित आवेदन प्रस्तुत कर रहा हूँ/कर रहे है। अधिनियम और नियमावली के उपबंधों के अधीन यथा अपेक्षित आवश्यक दस्तावेज इसके साथ संलग्न है। मैं/हम उपरोक्त लाइसेंस प्राप्त करने के लिये नियमानुसार आवश्यक शुल्क रूपये..... और प्रतिभूति रूपये.....संदाय करने के लिये तैयार और इच्छुक हूँ/हैं।

मैं/हम आपसे उपरोक्तानुसार घोषणा की स्वीकृति हेतु अनुरोध करता हूँ/करते है।

आपका शुभेच्छु

स्थान.....
दिनांक.....

आवेदक.....
नाम.....
फर्म की मुहर

(जो भी लागू न हो उसे काट दें)

इस आवेदन के साथ प्रस्तुत दस्तावेज–

(1) कम्पनी/सहकारी समिति/संस्था, न्यास, निगम, भागीदारी इत्यादि के सम्बन्ध में निगमन या रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र।

(2) प्रस्तावित मण्डी उपस्थल का संगम ज्ञापन और संगम अनुच्छेद और परिचालन तथा कार्य करने का दिशा निर्देश।(यथा प्रयोज्य)

(3) समस्त निदेशकों और स्वामियों और भागीदारों इत्यादि के नाम और पूर्ण पता और दूरभाष संख्या (यदि कोई अनुवर्ती परिवर्तन हो तो वे तत्काल इसकी सूचना देगें)।

(4) विस्तृत अनुमोदित परियोजना रिपोर्ट/मण्डी उपस्थल योजना की प्रमाणित प्रति। निम्नलिखित सारणी में भूमि की लागत सहित, लागत अंश के साथ सृजित और सृजित किये जाने के लिये आशयित अवसंरचना का ब्यौरा

(लागत के समर्थन मे प्रमाण भी संलग्न किया जाये)

क्रम सं0	अवसंरचना का प्रकार	प्राक्कलित लागत (रू0)/वास्तविक लागत (यदि पहले से बना हुआ है)
1		
2		
3		
4		
5		

(5) सहायक दस्तावेजों यथा–बैंक विवरण, आयकर विवरणी, स्थायी खाता संख्या, परिसम्पत्ति तथा देयता विवरण और मान्यता प्राप्त चार्टर्ड एकाउटेंट द्वारा जारी किये गये मूल्यांकन प्रमाण–पत्र सहित आवेदक की वित्तीय स्थिति।

(6) अवस्थिति मानचित्र, स्वामित्व उद्धरण, क्षेत्रफल हक सहित भूमि से सम्बन्धित दस्तावेज (पट्टाधृति भूमि, पट्टा करार, कब्जा प्रमाण पत्र इत्यादि के मामले में) और इस आशय का विधि व्यवसायी का प्रमाण–पत्र।

(7) शुल्क जमा किये जाने के समर्थन मे संदत्त बैंक ड्राफ्ट।

(8) प्रवर्तनात्मक तथा कार्यकारी दिशा–निर्देश कि कैसे मण्डी उपस्थल संचालित, नियंत्रित तथा प्रवर्तित किया जायेगा।

(9) बैंक प्रत्याभूति जैसा कि इस नियमावली मे उपबंधित है, वचन–पत्र और शपथ–पत्र के संबंध में आवेदक, अधिनियम और तद्धीन बनायी गयी नियमावली के समस्त उपबंधों का पालन करेगा और उल्लंघन की दशा में वह/वे विधिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होगा/होंगे, जिसमें समस्त देयकों की वसूली सम्मिलित है।

(10) मण्डी के उपयोगकर्ताओं हेतु भोजन व्यवस्था एवं ठहरने की सुविधा हेतु परिव्यय चिन्हित किया जाएगा। ऐसे उत्पाद के उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं के दृष्टिगत उत्पाद की गुणवत्ता के मूल्यांकन एवं अवधारण हेतु प्रयोगशाला सुविधाएं, स्वच्छता एवं आरोग्य सम्बन्धी प्रणाली स्थापित की जायेगी।

(11) आवेदक मण्डी उपस्थल मे विपणन हेतु आशयित कृषि उत्पाद को विनिर्दिष्ट करेगा।

(12) कोई अन्य सुसंगत सूचना/दस्तावेज जिन्हें आवेदक प्रस्तुत करने का इच्छुक हो।

आवेदक.....

नाम.....

मुहर

प्रपत्र–चौदह

(नियम 58–ख(एक) देखें)

(थोक सीधा कय के लिये लाइसेंस और नवीकरण हेतु आवेदन)

सेवा में,

निदेशक,
कृषि विपणन
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

महोदय,

मैं/हम..... (नाम, पिता का नाम सहित), (पता).....एतद्द्वारा अधिनियम की धारा 7ख, 33घ के अधीन थोक सीधा कय लाइसेंस स्वीकृत किये जाने/नवीकृत किये जाने के लिये अनुरोध करता हूँ/करते हैं। अधिनियम और नियमावली के उपबंधों के अधीन यथा अपेक्षित आवश्यक दस्तावेज इसके साथ संलग्न हैं। मैं/हम उपरोक्त लाइसेंस प्राप्त करने के लिए नियमानुसार आवश्यक लाइसेंस शुल्क रूपये.....और प्रतिभूति रूपये.....की धनराशि का संदाय करने के लिए तैयार और इच्छुक हूँ/हैं।

मैं/हम आपसे लाइसेंस की स्वीकृति/नवीकरण हेतु अनुरोध करता हूँ/करते है।

आपका शुभेच्छु

स्थान.....

दिनांक.....

आवेदक
नाम
फर्म की मुहर

(जो भी लागू न हो उसे काट दें)

इस आवेदन के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेज

(1) कम्पनी/सहकारी समिति/संस्था, न्यास, निगम, भागीदारी इत्यादि के सम्बन्ध में निगमन या रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र।

(2) प्रस्तावित थोक सीधा कय लाइसेंस का संगम ज्ञापन और संगम अनुच्छेद और परिचालन तथा कार्य करने का दिशा निर्देश (यथाप्रयोज्य)।

(3) समस्त निदेशकों और स्वामियों और भागीदारों आदि के नाम और पूर्ण पता और दूरभाष संख्या (यदि कोई अनुवर्ती परिवर्तन हो तो वे तत्काल इसकी सूचना देगें)।

(4) विस्तृत अनुमोदित परियोजना रिपोर्ट, मण्डी उपस्थल योजना की प्रमाणित प्रति। निम्नलिखित सारणी में भूमि की लागत सहित, लागत अंश के साथ सृजित और सृजित किये जाने के लिये आशयित अवसंरचना का ब्यौरा (लागत के समर्थन मे प्रमाण भी संलग्न किया जाये)

क्रम0 सं0	सीधा कय केन्द्र की चौहद्दी और पता	अवसंरचना का प्रकार	प्राक्कलित लागत (रू0)/वास्तविक लागत (यदि पहले से बना हुआ है)
1			
2			
3			
4			
5			

(5) सहायक दस्तावेज यथा–बैंक विवरण, आयकर विवरणी, स्थायी खाता संख्या, आस्तियों और देयताओं का विवरण सहित आवेदक की वित्तीय प्रास्थिति और उनका किसी मान्यता प्राप्त चार्टर्ड एकाउटेंट द्वारा जारी किया गया मूल्यांकन प्रमाण–पत्र।

(6) अवस्थिति मानचित्र, स्वामित्व उद्धरण, क्षेत्रफल, हक सहित भूमि से सम्बन्धित दस्तावेज (पट्टाधृति भूमि, पट्टा करार, कब्जा प्रमाण पत्र आदि के मामले में) और इस आशय का विधि व्यवसायी का प्रमाण–पत्र।

(7) लाइसेंस शुल्क का संदाय पर दिये जाने के समर्थन में बैंक ड्राफ्ट।

(8) प्रवर्तनात्मक एवं कार्यकारी दिशा निर्देश कि कैसे सीधा थोक, क्रय लाइसेंस, संचालित नियंत्रित एवं प्रवर्तित किया जायेगा।

(9) बैंक प्रतिभूति जैसा कि इस नियमावली में उपबंधित है, वचन–पत्र और शपथ–पत्र, जिनका आवेदक, अधिनियम और तद्धीन बनायी गयी नियमावली समस्त उपबंधों द्वारा अनुपालन करेगा और उल्लंघन की दशा में वह/वे विधिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होगा/होंगे, जिसमें लाइसेंस का रद्दकरण और समस्त देयों की वसूली सम्मिलित है।

(10) आवेदक, सीधा थोक क्रय लाइसेंस में क्रय करने हेतु आशयित कृषि उत्पाद को विनिर्दिष्ट करेगा।

(11) कोई अन्य सुसंगत सूचना/दस्तावेज जिन्हें आवेदक प्रस्तुत करने का इच्छुक हो।

आवेदक.....
नाम.....
मुहर

प्रपत्र–चौदह–क

[नियम 58–ख(पॉच) देखें]

(सीधा थोक कय के लिये लाइसेंस)

एतद्द्वारा मेसर्स.....को उसके प्रबन्ध निदेशक/फर्म के भागीदार श्री..... पुत्र श्री..... के माध्यम से सीधा थोक कय की स्थापना/उसके कृत्य के लिए दिनांक..... से .....तक की अवधि के लिए लाईसेन्स स्वीकृत किया जाता है।

सीधा थोक कय केन्द्र की चौहद्दी निम्नलिखित होगी–

(1) पूर्व –

पश्चिम –

उत्तर –

दक्षिण –

(2) पूर्व –

पश्चिम –

उत्तर –

दक्षिण –

निदेशक,
कृषि विपणन,
मुहर

शर्तें:–

(1) लाइसेंसधारी निदेशक, कृषि विपणन को अथवा उसके द्वारा समय समय पर यथा अपेक्षित रूप में प्राधिकृत अधिकारी को सूचना उपलब्ध करायेगा।

(2) सीधा थोक कय केन्द्र द्वारा राज्य कीं भिन्न–भिन्न एजेन्सियों/विभागों की विधि के अनुसार समस्त कर, शुल्क, उपकर तथा प्रभार संदेय होंगे।

(3) निदेशक, कृषि विपणन, कोई अन्य शर्त अधिरोपित कर सकता है।

प्रपत्र–सोलह

[नियम 58–ग(1)/58–ग(11) देखें]

(निजी मण्डी स्थल की स्थापना हेतु लाइसेंस की स्वीकृति/नवीकरण के लिए आवेदन)

सेवा में,

निदेशक,
कृषि विपणन
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

महोदय,

मैं/हम.....(नाम, पिता का नाम सहित), पता.. .....एतद्द्वारा निजी मण्डी स्थल की स्थापना हेतु ब्यौरा अनुसार लाइसेंस की स्वीकृति/नवीकरण हेतु अनुरोध करता हूँ/करते हैं। अधिनियम और नियमावली के उपबंधों की अपेक्षानुसार आवश्यक दस्तावेज इसके साथ संलग्न हैं। मै/हम उपरोक्त लाइसेंस प्राप्त करने के लिए नियमानुसार आवश्यक लाइसेंस शुल्क रूपये..... और प्रतिभूति रूपये..... .....का संदाय करने के लिये तैयार और इच्छुक हूँ/हैं।

मै/हम आपसे लाइसेंस की स्वीकृति/नवीकृत हेतु अनुरोध करता हूँ/करते हैं।

आपका शुभेच्छु

स्थान.....
दिनांक.....

आवेदक.....
नाम.....
फर्म की मुहर

(जो भी लागू न हो उसे काट दें)

इस आवेदन के साथ प्रस्तुत दस्तावेज

(1) कम्पनी/सहकारी समिति/संस्था, न्यास, निगम, भागीदारी इत्यादि के सम्बन्ध में निगमन या रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र।

(2) प्रस्तावित निजी मण्डी स्थल का संगम ज्ञापन और संगम अनुच्छेद और प्रवर्तनात्मक तथा कार्यकारी दिशा–निर्देश (यथा प्रयोज्य)।

(3) समस्त निदेशकों और स्वामियों तथा भागीदारों इत्यादि के नाम और पूर्ण पता तथा दूरभाष संख्या (वे तत्काल अनुवर्ती परिवर्तन, यदि कोई हो, सूचित करेंगे)।

(4) अनुमोदित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट/निजी मण्डी स्थल की योजना की प्रमाणित प्रति। निम्नलिखित सारणी में भूमि की लागत सहित लागत अंश के साथ सृजित और सृजित किये जाने के लिय आशयित अवसंरचना का ब्यौरा (लागत के समर्थन मे प्रमाण भी संलग्न किया जाये)–

क्रम सं0	अवसंरचना का प्रकार	प्राक्कलित लागत (रू0)/वास्तविक लागत (यदि पहले से बना हुआ है)
1		
2		
3		
4		
5		

(5) सहायक दस्तावेजों यथा–बैंक विवरण, आयकर विवरणी, स्थायी खाता संख्या, आस्तियों और देयताओं का विवरण सहित आवेदक की वित्तीय प्रास्थिति और उनका किसी मान्यता प्राप्त चार्टर्ड एकाउटेंट द्वारा जारी किया गया मूल्यांकन प्रमाण–पत्र।

(6) अवस्थिति मानचित्र, स्वामित्व उद्धरण, क्षेत्रफल, हक सहित भूमि से सम्बन्धित दस्तावेज (पट्टाधृति भूमि, पट्टा करार, कब्जा प्रमाण पत्र इत्यादि के मामले में) और इस आशय का विधि व्यवसायी का प्रमाण–पत्र।

(7) लाइसेंस शुल्क का संदाय कर दिये जाने के समर्थन मे बैंक ड्राफ्ट।

(8) प्रवर्तनात्मक एवं कार्यकारी दिशा निर्देश कि कैसे निजी मण्डी स्थल, संचालित, नियंत्रित एवं प्रवर्तित किया जायेगा।

(9) बैंक प्रत्याभूति जैसा कि इस नियमावली में उपबंधित है, वचन–पत्र और शपथ–पत्र, जिनका आवेदक, अधिनियम और तद्धीन बनायी गयी नियमावली के समस्त उपबंधों द्वारा अनुपालन करेगा और उल्लंघन की दशा में वह/वे विधिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होगा/होंगे, जिसमें लाइसेंस का रद्दकरण और समस्त देयकों की वसूली सम्मिलित है।

(10) मण्डी उपयोगकर्ताओं हेतु भोजन व्यवस्था एवं ठहरने की सुविधा हेतु परिव्यय चिन्हित किया जाएगा। ऐसे उत्पाद के उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं के दृष्टिगत उत्पाद की गुणवत्ता के मूल्यांकन एवं अवधारण हेतु प्रयोगशाला सुविधाएं, स्वच्छता एवं आरोग्य सम्बन्धी प्रणाली स्थापित की जायेगी।

(11) आवेदक मण्डी उपस्थल में विपणन हेतु आशायित कृषि उत्पाद को विनिर्दिष्ट करेगा।

(12) कोई अन्य सुसंगत सूचना/दस्तावेज जिन्हें आवेदक प्रस्तुत करने का इच्छुक हो।

आवेदक.....

नाम.....

मुहर

प्रपत्र–सोलह–क

[नियम 58(ग)(3) देखें]

(निजी मण्डी स्थल की स्थापना के लिए लाइसेंसधारकों का रजिस्टर)

क्रम. सं.	आवेदक का नाम और पता	लाइसेंस हेतु आवेदन प्राप्ति का दिनांक	मण्डी क्षेत्र	लाईसेन्स शुल्क	लाईसेन्स संख्या और दिनांक	लाईसेन्स अवधि	अभ्युक्ति और हस्ताक्षर

प्रपत्र–सोलह–ख

[नियम 58(ग)(7) देखें]

(निजी मण्डी स्थल के लिए लाइसेंस)

एतद्द्वारा मेसर्स..... को उसके प्रबन्ध निदेशक/फर्म के भागीदार श्री.....पुत्र श्री.....के माध्मय से निजी मण्डी स्थल की स्थापना/उसके कृत्य के लिये दिनांक..... से .....तक की अवधि के लिये लाइसेंस स्वीकृत किया जाता है।

निजी मण्डी स्थल की चौहद्दी निम्नलिखित होगी–

पूर्व –

पश्चिम –

उत्तर –

दक्षिण –

निदेशक,
कृषि विपणन
मुहर

शर्तें:–

(1) लाइसेंसधारी, निदेशक, कृषि विपणन को अथवा उसके द्वारा समय समय पर यथा अपेक्षित रूप में प्राधिकृत अधिकारी को सूचना उपलब्ध करायेगा।

(2) निजी मण्डी पणधारक क्षेत्र में उपबंधित की जाने वाली नियमावली और विधियों का अनुपालन करेंगे।

(3) निजी मण्डी लाइसेंसधारी द्वारा राज्य की विभिन्न अभिकरणों/विभागों की विधि के अनुसार समस्त कर, शुल्क, उपकर प्रभार संदेय होंगे।

(4) निदेशक, कृषि विपणन कोई अन्य शर्त अधिरोपित कर सकता है।

आज्ञा से

22.1.19

(अमित मोहन प्रसाद)
प्रमुख सचिव

UTTAR PRADESH SHASAN

KRISHI VIPRAN EVAM KRISHI VIDESH VYAPAR ANUBHAG-1

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no07/2019/2485/80-1-2018-600(22)/2002 T.C. II Date07 February ~~January~~, 2019

NOTIFICATION

No.07/2019/2485/80-1-2018-600(22)/2002 T.C. II

Lucknow, Date 07 February ~~January~~, 2019

In exercise of the powers conferred by section 40 of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Adhiniyam, 1964 (U.P. Act no.XXV of 1964), read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904(U.P. Act no. 1 of 1904), the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Niyamawali, 1965.

THE UTTAR PRADESH KRISHI UTPADAN MANDI (IKKISWAN SANSHODHAN) NIYAMAWALI, 2019

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi (Ikkiswan Sanshodhan) Niyamawali, 2019.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Gazette.

Amendment of Rule-3

2. In the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Niyamawali, 1965 hereinafter referred to as the said rules , for rule-3 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be substituted, namely:-

COLUMN-I **Existing rule**	**COLUMN-II** **Rule as hereby substituted**
3. Nomination of members of the committee- Nomination of	**3. Nomination of members of the committee-** Nomination of

the members under clauses (a) to (g) of sub-section 1 of Section 13 of the Act shall be made by the State Government after duly considering the recommendations of the Director, Mandi Parishad in this regard. The power to nominate the two members referred to in clause (h) of sub-section 1 of Section 13 of the Act shall be exercised by the concerned District Magistrate/ Collector.	the members under clauses (a) to (d) of sub-section (1) of section 13 of the Act shall be made by the State Government after duly considering the recommendations of the Deputy Director Administration/ Marketing of the Division in which the said Mandi is situated, obtained through the Director, State Agricultural Produce Markets Board, screening the names of the aspirants prepared as per the provisions of the section 13(2) of the Act. The cut off date for the assessment in this regard shall be the last date of the Agricultural year immediately preceding the Agricultural year in which the nomination is being considered.

Amendment of rule-5

3. **In the said rules for rule 5 set out in column-I below, the rule as set out in column-II shall be substituted, namely :-**

COLUMN-I **Existing rule**	**COLUMN-II** **Rule as hereby substituted**
5. Qualifications for membership of the Mandi Samiti.—(l) A person shall be qualified for being nominated or for	5. **Qualifications for membership of the Mandi Samiti.**—(1) A person shall be qualified for being nominated as a

being a member of the Market Committee under clauses (a) to (g) of sub-section (1) of Section 13 of the Act, if,—

(a) he is a citizen of India and has completed the age of 21 years;

(b) he is a registered voter for a local body or Legislative Assembly elections from a locality included in the Market Area concerned;

(c) he is of sound mind;

(d) he is not an undischarged insolvent;

(e) he does not hold any office of profit under the Government of India or any State Government or any Mandi Samiti of the State;

(f) he is a member of the concerned Zila Panchayat if the nomination is to be made from Zila Panchayat;

(g) he is a member of the concerned Kshettra Panchayat if the nomination to be made from Kshettra Panchayat;

(h) he is a member of the urban local body concerned if the nomination is to be made from urban local bodies;

(i) he is a member of the managing committee of

member of the Market Committee under clauses (a) to (d) of sub-section (1) of Section 13 of the Act, if,—

(a) he is a citizen of India and has completed the age of 21 years;

(b) he is a registered voter for Legislative Assembly elections from a locality included in the Market Area concerned;

(c) he is not of unsound mind;

(d) he is not an undischarged insolvent;

(e) he does not hold any office of profit under the Government of India or any State Government or any Mandi Samiti of the State;

(f) he is a farmer of the market area who brings his produce to the market yard for sale and has sold notified agricultural produce in the said market yard and obtained Forms-VI of cumulative highest value during last three agricultural years just preceding the year of the nomination.

A list of at least thirty farmers in each category mentioned under section 13(2) of the Act, with cumulative value of arrivals in the said mandi

the concern co-operative Marketing Society and is holding licence for transacting business in the concerned market area if the nomination is to be made from Co-operative Marketing Societies;

(j) he is a commission agent carrying on business in the concerned market area and is holding licence therefor under the Act if the nomination is to be made from commission agents;

(k) he is a trader carrying on business in the concerned market area and is holding licence therefor under the Act where the nomination is to be made from traders.

in their names prepared on the basis of Forms-VI, in descending order shall be prepared and published under the signature of officer nominated by the District Magistrate of the District, in which the Principal Market is situated, not below the rank of a Sub-Divisional Magistrate, inviting objections in writing which shall be made within a period of seven days. A decision on the objections if any shall be taken by such officer through a speaking order and thereafter a final list shall be published accordingly. The objection could only be made if it was supported by an affidavit and moved by a person who is resident of the said Market Area and is having at least one Form-VI issued by a licensee trader/ commission agent of the Market Area, in his own name in the last preceding agriculture year. For taking a decision on such objection the nominated officer may call for and consider such evidence as he deems fit. Where a person, whose name is in the list, denies becoming

an aspirant for membership, his written denial with his signature shall be communicated to the said officer before finalisation of the list. Confirming such denial such officer shall remove his name from the list describing reasons. The draft and final lists shall be prepared in the format X-A, appended to these rules; or

(g) he is a trader carrying on business in the concerned market area and is holding a valid license for it required under the Act and where the nomination is being made from traders, such traders should have paid cumulatively highest amount of market fee during the last three agricultural years just preceding the year of the nomination and have no outstanding dues against them of the market committee on the date of nomination.

A list of at least twenty traders under section 13(1)(b) of the Act with cumulative value of Market Fee paid by them in the said market committee as per their Mandi Shulk register or

other relevant documents, in descending order shall be prepared and published under the signature of such nominated officer, inviting objections in writing which shall be made within a period of seven days. The objection can only be made if it is supported by an affidavit and moved by a person who has a valid license for trading from the same market committee. A decision on the objections if any shall be taken by such officer through a speaking order and thereafter a final list shall be published accordingly. For taking a decision on such objection the nominated officer may call for and consider such evidence as he deems fit. Where a person, whose name is in the list, denies becoming an aspirant for membership, his written denial with his signature shall be communicated to the said officer before finalisation of the list. Confirming such denial the such officer shall remove his name from the list describing reasons. The draft and final lists shall be prepared in the format X-B, appended to these rules;

or

(h) he is a commission agent carrying on business in the concerned market area and is holding valid license required under the Act. If the nomination is being made from commission agents such commission agent should have paid cumulatively highest amount of market fee, during last three agricultural years just preceding the year of nomination and have no outstanding dues against them of the market committee on the date of nomination.

A list of at least twenty Commission Agents under section 13(1)(c) of the Act with cumulative value of Market Fee in the said market committee as per their Market Fee register or other relevant documents, in descending order shall be prepared and published under the signature of the said officer, inviting objections in writing which shall be made within a period of seven days. The objection can only be made if it is supported by an affidavit and moved by a person who has a valid license for

commission agent from the same market committee. A decision on the objection if any shall be taken by such officer through a speaking order and thereafter a final list shall be published accordingly. For taking a decision such officer may call for and consider such evidence as he deems fit. Where a person, whose name is in the list, denies becoming an aspirant for membership, his written denial with his signature shall be communicated to the said officer before finalisation of the list. Confirming such denial such officer shall remove his name from the list describing reasons. The draft and final lists shall be prepared in the format X-C appended to these Rules; or

(i) He is a palledar or measurer serving in the concerned market area and is holding license required under the Act and who is unanimously elected by the licence holder palledars or measures from among themselves respectively. In case of a dispute the name for nomination shall be decided by a draw of lots conducted before the

(2) The disqualifications provided under Sections 8, 9, 9-A and 10 of the Representation of People Act, 1951 as amended from time to time shall mutatis mutandis apply for nomination to a Mandi Samiti also.

(3) If a nominated member absents himself from five consecutive meetings of the committee, he shall be disqualified and be ceased to be a member of the committee:

Provided that if the Director is satisfied that there was sufficient cause for the absence of the member from the meetings as aforesaid he may be order make a declaration to that effect and thereupon the disqualification under this sub-rule shall cease to have effect.

nominated by the collector concerned officer for the purpose.

(2) The disqualifications provided under Sections 8, 9, 9-A and 10 of the Representation of People Act, 1951 as amended from time to time shall mutatis mutandis apply for nominations to a Mandi Samiti also.

(3) If a nominated member absents himself in five consecutive meetings of the committee, he shall be disqualified and cease to be a member of the committee.

Provided that if the Director, Mandi Board is satisfied that there is sufficient reason for the absence of the member from the meetings as aforesaid, he may by order make a declaration to that effect and thereupon the disqualification under this sub-rule shall cease to have an effect.

(4) If the State Government is satisfied, on the report of District Collector or Director, Agriculture Marketing Board or otherwise that a member, Chairman or Vice-Chairman is guilty of moral turpitude and there

is sufficient ground to proceed, the State Government may remove such member, Chairman or Vice-Chairman from his office provided that a reasonable opportunity of hearing has been given before such removal.

Provided further that the state government may by general or special order direct that such opportunity of hearing is to be given at the level of District Collector or Director Agricultural Marketing Board or such other officer as it may deem fit.

Insertion of new rule 35

Election of Chairman and Vice-Chairman of the Market Committee

4. **In the said rules, in chapter-III before rule 36 the following rule shall be inserted, namely:-**

35- (1) **Returning Officer** - The Collector of the District, where the Principal Market Yard of the Market Committee exists or an officer nominated by him, not below the rank of a Deputy Collector, shall be the Returning officer for the election of Chairman and Vice-Chairman of the market committee. At least one Assistant Returning Officer not below the rank of a Tehsildar shall also be nominated by the collector for each such election to aid and assist the returning officer for exercise of such powers and functions of the returning officer as the returning officer may direct.

(2) **Declaration of Election-** As soon as the notification of nominations of the members of market committees is published (not later than 10 days from the date of publication of such notification) an oath of office shall be administered to the nominated members by the Collector or an officer nominated by him for this

purpose. A market committee will be deemed to be constituted when at least 2/3 of the total number of the members have taken their oath of office. The state Government may fix a date for the election of the Chairman and Vice-Chairman of the market committees in the State through the publication of notification.

Provided that generally the same date shall be fixed by the State Government for such elections but different dates may be fixed for elections for different market committees as it deems fit.

A list of nominated members who have taken oath shall be published and be pasted on the notice board of the market committee and on other prominent places of the market committee as soon as the oath of office has been administered to the elected members. The nominated members who have taken oath on or before the date of declaration of the election shall be treated as the electorate.

In consonance with the notification issued by the State Government date, time and place of the election shall be published in two newspapers of wide local circulation and also be displayed on the notice board of market committee.

(3) **Nomination for the elections of the post of Chairman and Vice-Chairman** -The nomination for the post of Chairman and Vice-Chairman shall be filed before the Returning Officer in the format given in the Form-XI.

The nomination form shall be presented personally on the date of election before the Returning Officer between 10 AM to 12 AM. The Nomination form will be scrutinised just thereafter and the nomination can be withdrawn before 02.00 PM on the same day.

(4) **Display of list of contesting candidates** - The names of the contesting candidates shall be displayed on the notice board of the market committee immediately thereafter, under the signature of the Returning Officer.

(5) **Election Procedure**-The election of Chairman and Vice-Chairman will be conducted, by secret ballot paper

containing the name, father's name, address of the contesting candidates along with their photographs and unopposed candidate or the candidate securing maximum number of votes shall be declared elected. In case of a tie the decision shall be taken on the basis of a draw of lots.

(6) The choice by the voter will be marked only by the instrument provided to him and in the manner prescribed as well as communicated to him by the Returning Officer.

(7) The election of the Chairman and Vice- Chairman shall be conducted simultaneously and separately.

(8) **Declaration of results-** The voting will start from 3.00 P.M. and be closed at 4.00 PM. Immediately thereafter the votes shall be counted by the Returning Officer. The Returning Officer shall declare the names of elected Chairman and Vice-Chairman in the form-XIIA and a certificate in the form XIIB will also be handed over to them thereafter. The names of elected Chairman and Vice-Chairman shall be sent to Director, Marketing Board and to the Principal Secretary, Agricultural Marketing and Agricultural Foreign Trade, Government of Uttar Pradesh by the Collector in his signature and seal immediately after such declaration.

(9) An election petition may be filed against such election before the Commissioner of the Revenue Division within 30 days of the declaration of such results.

Amendment of rule-36

5. In the said rules, for rule 36 set out in column-I below, the rule as set out in column-II shall be substituted, namely :-

COLUMN-I **Existing rule**	**COLUMN-II** **Rule as hereby substituted**

36. Oath of office.— Persons nominated as members under clause (a) to (g) of sub-section (1) of Section 13 shall, as soon as may be after their nomination as such, be administered oath of office in the following manner by the Collector or his nominee at the place and time which may be fixed for the purpose by him.

OATH

I..... (name) do swear that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established and in achieving the objectives of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Adhiniyam, 1964. I will discharge my duties in accordance with the rules faithfully without fear or favour, affection or ill-will so help me God.

And after administering the oath, the Collector or his nominee, as the case may be. shall send an intimation to the Director immediately.

36. Oath of Office - Persons nominated as members under clauses (a) to (d) of sub-section (1) of Section 13 and persons elected as Chairman and Vice-Chairman shall, as soon as may be, after their nomination as such member and after election as Chairman and Vice-Chairman, be administered oath of office as follows by the Collector or his nominee at the place and time which may be fixed for the purpose by him.

OATH

I.....(name) do swear that I will bear true faith and allegiances to the Constitution of India in achieving the objectives of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Adhiniyam, 1964 and will discharge my duties in accordance with the rules faithfully without fear or favour, affection or ill-will so help me God.

And after administering the oath, the Collector or his nominee, as the case may be, shall send an intimation to the Director immediately.

Insertion of new CHAPTER IVA

6. In the said rules, after CHAPTER IV the following new chapter shall be inserted, namely:-

CHAPTER IVA
DECLARATION OF MARKET SUB YARD, LICENSE AND RELATED ISSUES FOR DIRECT AND PRIVATE MARKETS

Declaration of a Market Sub-Yard

58-A (1) The owner of a warehouse/ silo/ cold storage/or other such structure or places as the case may be, having storage capacity of not less than five thousand tons, desirous of declaration of such place as market sub-yard shall apply to the Director, Agriculture Marketing or an officer authorized by him, in form-XIII under Section 7-A(1) of the Act.

(2) The fee for such application shall be Rs. Two thousand per annum for a minimum period of three years or Rs. Twenty thousand for twenty years, and shall also furnish a security of Rs. Five Lakhs.

(3) The Director, Agriculture Marketing shall verify the documents and suitability of the applicant and may direct him to furnish such documents as may be necessary, to run a market sub-yard and may recommend to the State Government to declare it as market sub-yard by notification in the Official Gazette within sixty days.

Provided that the Director, Agriculture Marketing can authorize an officer subordinate to him to verify the particulars mentioned in the application form.

Provided further that if the Director, Agriculture Marketing reaches to a conclusion that the applicant's case is not fit to be recommended for the declaration of market sub-yard, a reasonable opportunity of hearing shall be given to the applicant for this purpose.

(4) A person or persons carrying on business or work as trader, broker, commission agent, warehouseman, weighman, or palledar in the market sub-yard shall take appropriate license from market committee concerned and act in accordance with the provision of the Act and the

Rules.

Grant/ Renewal of license to establish wholesale direct purchase from farmers outside the principal market yard, sub-market yard, market sub yard, private market yard.

58-B (1) Any person, including a Farmers' Cooperative, Farmers Producer Organisation (FPO) and Processor/Exporter, under section 7-B, desirous to purchase agricultural produce directly from the farmers outside the principal market yard/market sub-yard/sub-market yard/private market yard as collection/aggregation centre in the proximity of production area with infrastructure specially godown permanent or temporary, weighment facility and other common facilities to the farmers shall apply to the Director, Agriculture Marketing, in the form-XIV with details of structure and other information prescribed in the form.

(2) The applicant shall also submit details of financial status, resources with supportive documents, bank statements, income tax returns of the last three years, list of permanent assets and liabilities and in the case of a company memorandum and articles of association and other documents showing the credibility of the applicant for the direct purchase of specified agriculture produce from the producer-seller.

(3) The license fees for the direct marketing shall be Rs. one thousand per year or Rs. ten thousand for twenty years with a security of Rs. one lac for each purchase centre.

Provided that the amount of license fees paid by the applicant and the security money shall be refunded after deducting ten percent of the fees towards processing cost if the license is not granted or not renewed for any reason other than non compliance of the conditions of license.

(4) The applicant may apply for more than one direct purchase centres in one or more market areas.

(5) The Director, Agricultural Marketing shall examine the proposal in consultation with person or authorities as he deems fit and may suggest necessary measures for improvement or after satisfying himself, grant license in the form-

XIVA.

(6) The licensing authority shall inform to the market committee concerned and the Director, Agriculture Marketing Board as soon as he issues the license.

(7) The direct purchase licensee shall pay the seller the price of the produce within seventy-two hours of the purchase.

(8) Renewal of license-The Direct Purchase Centre licensee shall submit application for renewal of license in Form-XIV to the Director, Agricultural Marketing. And such officer after making necessary enquires as he deems fit, may renew the license of the Direct Marketing Centre for purchase of specified agricultural produce from agriculturist or producer-sellers.

(9) Every application for renewal of license shall be made at least one month before the expiry of its period. If the application for renewal of license by the applicant is in accordance with the provisions of the Act and the Rules, the applicant shall be deemed to be duly licensed until orders is passed otherwise on the application. Where the application for renewal of the license is submitted after due date, a late fee of Rs. five hundred for every consecutive thirty days shall be payable by the applicant.

(10) If the direct purchaser fails to comply the provisions of the Act or the Rules or the conditions of the licence, his licence may be suspended or cancelled by the Director, Agricultural Marketing.

Provided that before cancelling a licence Director, Agricultural Marketing shall afford a reasonable opportunity to the licensee to show cause against the action proposed.

(11) Any person aggrieved by the order of the Director, Agricultural Marketing or otherwise may appeal to the Principal Secretary, Agricultural Marketing and Agricultural Foreign Trade Department, Government of

Uttar Pradesh in writing within a period of thirty days.

Grant of license for establishment of a private market yard

58- C (1) Subject to the provisions of Section 7-D and 9 of the Act, any person who intends to establish a private market yard in one or more market areas shall submit an application in writing to the Director of Agricultural Marketing in Form-XVI for grant of license for this purpose, along with the documents in support of the details furnished in the application form.

(a) Private market yard licensee shall develop, manage and control the yard by providing infrastructure facilities such as auction halls, sheds, shops, godowns, storages, canteen, laboratory facilities to evaluate quality of produce, grading and packaging facilities, loading and unloading site, electronic display of market rates, electronic weighbridges, internal roads, drinking water and sanitary facilities, etc., with an investment of not less than the amount as specified below excluding the cost of land.-

(i) Rupees ten crores in the cities viz. Kanpur, Lucknow, Barreily, Barbanki, Varanasi, Agra, Lalitpur, Gorakhpur, Allahabad, Shahjahanpur, Lakhimpur, Ghaziabad, Meerut, Gautam Buddh Nagar, Aligarh, Moradabad, Saharanpur.

(ii) Rupees five crores in other district head quarters and other places.

(b) The Land earmarked for establishment of Private Market Yard shall bear a clear title and possession. The extent of such land for establishment of a Private Market Yard shall not be less than. —

(i) Two hectares in respect of the Nagar Nigam/Municipal area of Cities listed in Sub-clause (i) of clause (a) of sub-rule (1).

(ii) Three hectares, in case it is outside the municipal/Nagar Nigam area, of the *cities listed in* Sub-clause (i) of clause (a) of sub-rule (1) , but within a radius of 8 km. from it's limits.

(iii) Four hectares, in respect of any other area.

(c) No private market under this rule shall be established at any place within a radius of five

kilometres from the existing principal market yard and three kilometres from the existing sub-market yard or market sub-yard.

(2) The licence fees payable for grant or renewal of licence for three years or part of it for a private market yard shall be as specified below, payable by demand draft in favour of the Director, Agricultural Marketing, Uttar Pradesh.

(i) Cities listed in Sub-clause (i) of clause (a) of sub-rule (1) -Rupees two lacs.

(ii) Other places — Rupees one lac.

Provided that the amount of license fee paid by the applicant may be refunded if the license is not granted or not renewed for any reason after deducting ten per cent of the fees towards processing cost.

(3) The Director, Agricultural Marketing shall arrange to record the date of receipt of the application in the register maintained in Form-XVI-A and evaluate the project report. He may also in consultation with the Deputy Director Administration/Marketing of the concerned area or any other authority as he deems fit may suggest necessary measures for the facilities to be created and be provided for such reasonable improvements as he deems fit in private market yard.

(4) The Director, Agricultural Marketing on the basis of the evaluation report within sixty days from the date of submission of application may. —

(a) Issue a letter of permission for the commencement of the project specifying the period for completion which shall not be more than two years in case of new projects.

OR

(b) refuse to issue a letter of permission for the reasons to be recorded in writing and shall communicate it to the applicant.

Further that no letter of refusal under this rule shall be issued unless a reasonable opportunity of being heard is given to the applicant.

(5) In case of new project, the applicant shall complete the project within the period specified in such permission letter and if the applicant fails to complete

the project within the specified period, he may apply to the Director, Agricultural Marketing explaining the reasons for extension of the period. The Director, Agricultural Marketing after inspection of the project may allow for extension of time not exceeding one year. If the project could not be completed within the extended period a fee of a Rs. one lac shall be levied to condone the delay for the period of one year or a part of it.

(6) In case of new project, after completion of the project or for existing projects at the time of application, the applicant shall give intimation of such facts in writing to the Director, Agricultural Marketing. The Director, Agricultural Marketing after such inspection and enquiry as he deems necessary shall by an order issued under Section 7-D of the Act make declaration with respect to private market yard, within a period of sixty days, for the regulation of marketing of specified agricultural produce.

(7) After the issue of the order under sub-rule (6), the Director, Agricultural Marketing may subject to the provisions of Section 9 of the Act, grant license in Form-XVI-B for establishment of a private market yard subject to the conditions specified therein.

(8) The licensing authority shall immediately inform the market committee concerned and the Director, Marketing Board after issuing such license.

(9) Before commencement of marketing of agricultural produce the applicant shall deposit an irrevocable and continuous bank guarantee or cash security as specified below or an amount equal to 0.5% per cent of the annual turnover of the previous year whichever is more with Director, Agricultural Marketing.

(i) Cities listed in Sub-clause (i) of clause (a) of sub-rule (1) — rupees fifty lacs.

(ii) In any other places— rupees twenty-five lacs.

Provided that in case of first year of marketing, the Bank Guarantee or cash security shall be the amount mentioned in clause (i),(ii) of sub-rule 9 of Rule 58-C above.

(10) The private market yard licensee shall submit

application for renewal of license in Form-XVI with fee and security equal to fee and security of a new license and furnish other information as required to the Director of Agricultural Marketing. The Director, Agricultural Marketing after making such enquiries as he deems fit, may renew the license of the private market yard for marketing of specified agricultural produce.

(11) The Director, Agricultural Marketing, may after giving the applicant an opportunity of being heard, for the reasons to be recorded in writing refuse to grant or refuse to renew the license to the applicant who is either insolvent or otherwise disqualified under the Act and the rules.

Provided that no order under this sub-rule shall be made unless a reasonable opportunity of being heard is given to the applicant.

(12) A license granted under sub-rule (8) shall remain in force for three agriculture years.

(13) Every application for renewal of license shall be made at least one month before the expiry of its period.

(14) Every buyer including private market yard licensee if he is a buyer shall have to pay user charge as per rules.

(15) The Director, Agriculture Marketing shall fix the upper limit of the trade charges by a general order as a condition of license.

(16) The procedure mentioned above may wholly or in part be performed electronically.

Power of the Director, Agriculture Marketing to suspend or cancel the license granted/renewed under section 33-C.

58-D (1) The license of private market may be suspended or cancelled by the Director, Agriculture Marketing subject to the provisions under section 33-D if the share of user charge is not fully deposited in the account of the Director, Agriculture Marketing for a period of three months.

The share of a user charge shall be paid 15th day of every month, failing which an interest at the rate of two percent per month be charged on it.

(2) Communication of refusal, cancellation or suspension of license- The order of refusal or cancellation or suspension of license as the case may be,

shall be communicated to the person concerned by the Director, Agriculture Marketing as provided under—

(a) by delivering or tendering to him personally a copy of such order; or

(b) by sending the same to him by registered/speed post.

(c) Such order shall be deemed to have been communicated to the person concerned on the date on which a copy of it is delivered to him personally or sent by registered post or the acceptance of it is refused by him.

(3) Denial to issue or renew license- The Director Agricultural Marketing for the reasons to be recorded in writing may refuse to grant or renew the license.

(4) Any person aggrieved by the order of the Director Agricultural Marketing or otherwise may appeal to the Principal Secretary, Agricultural Marketing and Agricultural Foreign Trade Department, Governinent of Uttar Pradesh in writing within a period of thirty days.

Insertion of new rule 76-B

E-trading

7. **In the said rules, after Rule-76A the following rule shall be inserted, namely:-**

76-B. (1) Notwithstanding anything contained in these rules e-trading as per the provisions of the Act and Rules shall be a legal and valid mode of trade.

(2). Any of the register and book maintained and used by a committee under these rules may be maintained and used on electronic platform or in a digital format.

(3). Any format defined under these rules may be maintained wholly or in part electronically/ digitally.

Amendment of rule 103 and 104

8. **In the said rules, for rules 103 and 104, set out in Column-I below, the rules as set out in Column-II shall be substituted, namely:-**

COLUMN-I **Existing rule**	**COLUMN-II** **Rule as hereby substituted**
103. Annual Report and balance sheet [Section 40(2)(xiii)].—At the close of each agricultural year, the Committee shall	**103. Annual Report and balance sheet [Section 40(2)(xiii)].**—At the close of each financial year, the Committee shall prepare

prepare the annual balance sheet in such form as may be specified in its bye-laws and shall also prepare an annual report and shall submit copies of the said balance-sheet and the said annual report by the 30th day of September each year to the Director.	the annual balance sheet in such form as may be specified in its bye-laws and shall also prepare an annual report and shall submit copies of the said balance-sheet and the said annual report by the 30th day of June each year to the Director.
104. Accounts, their audit and inspection [Section 16(2)(ix) and 40(2)(xii)].—(1) The accounts of the Market Committee shall be kept and maintained according to the agricultural year on single entry system of book-keeping and shall be subject to audit under clause (ix) of sub-section (2) of Section 16 of the Act.	**104. Accounts, their audit and inspection [Section 16(2)(ix) and 40(2)(xii)].**—(1) The accounts of the Market Committee shall be kept and maintained according to the financial year on double entry system of book-keeping and shall be subject to audit under clause (ix) of sub-section (2) of Section 16 of the Act.
(2) The accounts of the Committee shall be audited annually by the Examiner, Local Fund Accounts.	(2) The accounts of the Market Committee shall be audited annually by the Examiner/Auditor of Auditor and Comptroller General.
(5) The Examiner. Local Fund Accounts shall, after the audit, prepare an audit report in two parts. Part I shall contain objection statement dealing with technical irregularities and Part II shall contain audit	(5) The Examiner/Auditor, Auditor and Comptroller General shall, after the audit, prepare an audit report in two parts. Part I shall contain objection statement dealing with technical irregularities and

note dealing with general and important matters requiring particular attention of the Market Committee. The Examiner. Local Fund Accounts, shall furnish one copy each of the said reports to the Market Committee and to the Director.	Part II shall contain audit note dealing with general and important matters requiring particular attention of the Market Committee. The Examiner/Auditor, Auditor and Comptroller General, shall furnish one copy each of the said reports to the Market Committee and to the Director.
(8) A duly authenticated compliance of the audit report showing the action taken by the officers of the Committee and the comments and decisions of the Committee on each point shall be sent to the Examiner, Local Fund Accounts and to the Director, within ninety days of the date of receipt of the audit report.	(8) A duly authenticated compliance of the audit report showing the action taken by the officers of the Committee and the comments and decisions of the Committee on each point shall be sent to the Examiner/Auditor, Auditor and Comptroller General and to the Director, within ninety days of the date of receipt of the audit report.

Amendment of rule 137

9. In the said rules, in rule 137 for sub-rule (1) set out in column-I below the sub-rule as set out in column-II shall be substituted, namely:-

COLUMN-I **Existing sub-rule**	**COLUMN-II** **Sub-rule as hereby substituted**
137.(1) A newly established Agro Processing Unit having the cost of plant and machinery five crore or more may make an	(1) A newly established Agro Processing Unit having the cost of plant and machinery five crore or more may make an

application for exemption or reduction of Mandi Fee in prescribed Form XVI to the concerning Divisional Commissioner along with all relevant documents as specified in the form and annexures and Bank Draft of Rs. 20,000.00 towards processing fee in favour of the Secretary of the concerned Mandi Samiti on receipt of the application, the Divisional Commissioner shall forward it within seven days to the concerned District Magistrate for report.	application for exemption or reduction of Mandi Fee in prescribed Form XVI to the concerning Divisional Commissioner along with all relevant documents as specified in the form and annexures and Bank Draft of Rs. 20,000.00 towards processing fee in favour of the Secretary of the concerned Mandi Samiti on receipt of the application, the Divisional Commissioner shall forward it within seven days to the concerned District Magistrate for report. Provided that the newly established processing unit seeking exemption or reduction of Mandi Fee shall apply not later than six months from the date of it's establishment. Provided that the exemption given, by the State Government on Market Fee, shall not exceed the value of investment on plant and machinery.
omission of forms I,II,III,IV and IVA	**10. In the said rules, the forms I, II, III, IV and IVA shall be omitted.**

Insertion of new forms in the rules

11. In the said rules, after form-X the following forms shall be inserted, namely:-

FORM X-A
(Rule 5(1)(f))

Sl. No.	Name of the farmer	Father's name	Full address	Total area of the land held by him in U.P.	Cumulative value of sale on Form-VI in the last three agriculture years viz.			
1	2	3	4	5	year	year	year	Total
					6	7	8	9

FORM X-B
(Rule 5(1)(g))

Sl. No.	Name of the trader	Father's name	Full address	Cumulative value of Market Fee in the last three agriculture years viz.			
1	2	3	4	year	year	year	Total
				5	6	7	8

FORM X-C
(Rule 5(1)(h))

Sl. No.	Name of the Commission Agent	Father's name	Full address	Cumulative value of Market Fee in the last three agriculture years viz.			
1	2	3	4	year	year	year	Total
				5	6	7	8

FORM XI
(see Rule-35 iii)

NOMINATION PAPER

Election to the post of Chairman/Vice-Chairman of the Market Committee

Recent stamp size (2cmX2.5cm) photograph

STRIKE OFF PART I OR PART II BELOW WHICHEVER IS NOT APPLICABLE

PART I

I nominate as a candidate for election to the post of Chairman/Vice-Chairman from the Market Committee.....District. Candidate's name..... ..... Father's/mother's/ husband's name.....His postal address .....His name is entered at S. No.....in Part No.....of the electoral roll for.....(Assembly constituency comprised within).....Parliamentary Constituency and he is a member of the above mentioned market committee.

Date..... Signature of the proposer

PART II

I, the candidate mentioned in Part I (Strike out which is not applicable) assent to this nomination and hereby declare-
(a) that I am a citizen of India and have not acquired the citizenship of any foreign State/country.
(b) that I have completed.....years of age.

(c) that my name and my Father's/mother's/husband's name have been correctly spelt out above in..... (name of the language);
(d) that to the best of my knowledge and belief, I am qualified and not also disqualified for being elected as chairman/Vice-Chairman of the market committee.....Distrct.....

Date..... Signature of Candidate

PART III

(1) Whether the candidate-
(i) has been convicted of any offence(s) under sub-section (1); or for contravention of any law specified in sub-section(2), of section 8 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951); or Yes/No
(ii) has been convicted for any other offence(s) for which he has been sentenced to imprisonment for two years of more.
If the answer is "Yes", the candidate shall furnish the following information:
(a) Case/first information report No./Nos .....
(b) Police station(s).....
District(s) State(s).....
Section(s).....
(c) Section(s) of the concerned Act(s) and brief description of the offence(s) for which he has been convicted
.....
.....
(d) Date(s) of conviction(s).....
(e) Court(s) which convicted the candidate.....
(f) Punishment(s) imposed [indicate period of imprisonment(s) and/or quantum of fine(s)] .....
(g) Date(s) of release from prison .....
(h) Was/were any appeal(s)/revision(s) filed against above conviction(s)..... Yes/No
(i)Date and particulars of appeal(s)/application(s) for revision filed..... ... .

(j) Name of the court(s) before which the appeal(s)/application(s) for revision
filed.....

(k) Whether the said appeal(s)/application(s) for revision has/have been disposed of or is/are pending .....

(l) If the said appeal(s)/application(s) for revision has/have been disposed of—

(a) Date(s) of disposal.....

(b) Nature of order(s) passed.....

(2) Whether the candidate is holding any office of profit under the Government of India or State Government or any Market Committee ? .....(Yes/No) –

-If Yes, details of the office held

(3) Whether the candidate has been declared insolvent by any Court? .....(Yes/No) -If Yes, has he been discharged from insolvency.....

(4) Whether the candidate is under allegiance or adherence to any foreign country? .....(Yes/No)

-If Yes, give details .....

(5) Whether the candidate has been disqualified under section 8A of the said Act by an order of the President? .....(Yes/No)

-If Yes, the period for which disqualified .....

(6) Whether the candidate was dismissed for corruption or for disloyalty while holding office under the Government of India or the Government of any State? .....(Yes/No)

-If Yes, the date of such dismissal .....

(7) Whether the candidate has any subsisting contract(s) with the Government either in individual capacity or by trust or partnership in which the candidate has a share for supply of any goods to that Government or for execution of works undertaken by that Government?.....(Yes/No)

- if Yes, with which Government and details of subsisting contract(s).....
.....

(8) Whether the candidate is a managing agent, or manager or Secretary of any company or Corporation (other than a cooperative society) in the capital of which the Central Government or State Government has not less than twenty-five percent share?.....(Yes/No)

(9) Whether the candidate has been disqualified by the Commission under section 10A of the said Act.....(Yes/No)
- If yes, the date of disqualification.....

Place.....
Date.....

Signature of Candidate

PART IV
(To be filled by Returning Officer)

Serial No. of nomination paper.....

This nomination was delivered to me at my office at.....(hour) on.....(date) by the candidate/proposer. (name of proposer.....)

Date .....

Returning Officer

PART V

Decision of Returning Officer Accepting or Rejecting the Nomination Paper

I have examined this nomination paper in accordance with the relevant rules.

.....
.....
.....
.....

Date.....

Returning Officer

.....(Perfoation).....

FORM XIIA
(see Rule- 35 viii)

Declaration of elected Chairman/Vice Chairman of the Market Committee of Market Committee .....District.....

It is certified that Sri/Smt./Ku.....S/o or W/o .....Resident of .....is declared elected as Chairman/Vice Chairman of the Market Committee .....Distrct.....

Returning Officer
Market Committee .....
For the Chairman/Vice Chairman elections
District.....

FORM XIIB
(see Rule- 35 viii)

Certificate of elected Chairman/Vice-Chairman of the Market Committee
of
Market Committee .....District.....

It is certified that Sri/Smt./Ku.....S/o or W/o .....Resident of .....is declared elected as Chairman/Vice-Chairman of the Market Committee .....Distrct.....

Returning Officer
Market Committee .....
For the Chairman/Vice-Chairman elections
District.....

FORM XIII
[See Rule 58-A]

Application for declaration of market sub-yard

To,

The Director Agricultural Marketing
Uttar Pradesh, Lucknow.

Sir,

I/We .....(Name/names with farther's name/names/husband's name).....(Address) .....am/are making an application for declaration of a market sub-yard with the details as annexed to this application. The necessary documents as required under the provisions of the Act and Rules are herewith enclosed. I am/we are ready and willing to pay the necessary fee of Rs..... and security Rs.....as per rules for obtaining the above licence.

I/we request you to kindly grant the declaration as above.

Yours faithfully,
(Applicant)
Name:
Firm seal.

Place :
Date :

(Strike out whichever not applicable)

Documents submitted with this application.

(1) Certificate of incorporation or Registration in respect of Company, Co-operative Society/Institution, Trust, Corporation, Partnership, etc.

(2) Memorandum of Association and Articles of Association and operational and working guidelines of the proposed market sub-yard (as applicable).

(3) Names and full address and telephone number of all the Directors and owners and partners etc. (They shall inform immediately subsequent changes if any).

(4) Detailed project-report approved/certified copy of the plan of the market sub-yard. Details of infrastructure created, intended to be created with the breakup of the cost including the cost of the land in following

table (proof in support of cost shall also be enclosed):

SI.No	Type of Infrastructure	Estimated Cost (Rs.)/Actual cost (if already set up).
1 2 3 4 5		

(5) Financial Status of the applicant with supportive document such as bank statements, Income-tax returns, PAN, Assets and Liability statement and its valuation certificate issued by a recognized chartered accountant.

(6) Documents relating to land including location map, ownership extract, area, title, (In case of leasehold land, lease agreement, possession certificate, etc) and a certificate of legal practitioner to that effect.

(7) Demand Draft in support of having paid the fee.

(8) Operational and working guidelines as to how market sub-yard shall be conducted, controlled and operated.

(9) A Bank guarantee as provided in these rules undertaking and Affidavit that the applicant shall abide by all the provisions of the Act and rules made thereunder and in case of violation he/they shall be liable for legal action including recovery of all dues.

(10) The outlay earmarked for providing facilities for lodging, boarding for the users of market. Laboratory facilities to evaluate and determine the quality of the produce, sanitary, hygienic systems and phytosanitary requirements of the consumers of such produce.

(11) Applicant shall specify the agricultural produce intended for marketing in the market sub-yard.

(12) Any other relevant information/documents that the applicant desires to furnish.

(Applicant)
Name:
Seal:

FORM XIV
[See Rule 58-B(i)]

Application for wholesale direct purchase licence and for renewal

To,

The Director Agricultural Marketing
Uttar Pradesh, Lucknow.

Sir,

I/We.....(Name with father's name) ..... (Address).....hereby request the grant/renew a wholesale direct purchase licence under section-7B, 33-E of the Act. The necessary documents as required under the provisions of the Act and Rules are enclosed herewith. I am/we are ready and willing to pay the necessary licence fee of Rs..... and security Rs.....as per rules for obtaining the above licence.

I/we request you to grant/renew the licence.

Yours faithfully,
(Applicant)
Name:
Firm seal.

Place :
Date :

(Strike out whichever not applicable)

Documents submitted with this application.

(1) Certificate of incorporation or Registration in respect of Company, Co-operative Society/Institution, Trust, Corporation, Partnership, etc.

(2) Memorandum of Association and Articles of Association and operational and working guidelines of the proposed wholesale direct purchase licence (as applicable).

(3) Names and full address and telephone number of all the Directors and owners and partners etc. (They shall inform immediately subsequent changes if any).

(4) Detailed project-report approved/certified copy of the plan of the market sub-yard. Details of infrastructure created, intended to be created

with the breakup of the cost including the cost of the land in following table (proof in support of cost shall also be enclosed):

SL.No	Boundaries and address of the direct purchase centre	Type of Infrastructure	Estimated Cost (Rs.)/Actual cost (if already set up).
1 2 3 4 5			

(5) Financial Status of the applicant with supportive document such as bank statements, Income-tax returns, PAN, Assets and Liability statement and its valuation certificate issued by a recognized chartered accountant.

(6) Documents relating to land including location map, ownership extract, area, title, (In case of leasehold land, lease agreement, possession certificate, etc) and a certificate of legal practitioner to that effect.

(7) Demand Draft in support of having paid the licence fee.

(8) Operational and working guidelines as to how wholesale direct purchase licence shall be conducted controlled and operated.

(9) A Bank guarantee as provided in these rules undertaking and Affidavit that the applicant shall abide by all the provisions of the Act and rules made thereunder and in case of violation he/they shall be liable for legal action including cancellation of licence and recovery of all dues.

(10) Applicant shall specify the agricultural produce intended for purchasing in the wholesale direct purchase licence.

(11) Any other relevant information/documents that the applicant desires to furnish.

(Applicant)
Name:
Seal:

FORM XIVA
[See Rule 58-B (v)]

License for the Wholesale Direct Purchase

License is hereby granted to M/s .....through it's Managing Director/Partner of the firm/ in person Mr..... S/o .....address.....for etablishment/ function of Wholesale Direct Purchase for the period from ..... to .....

The boundaries of the Wholesale Direct Purchase Centre is-

1-
East-
West-
North-
South-
2-
East-
West-
North-
South-

Director Agricultural Marketing
Seal

Conditions-

1- The licensee shall furnish information to the Director Agricultural Marketing or to the officer authorised by him as may be required by him time to time.
2- All the taxes, fee, cess, charges shall be payable by the Wholesale Direct Purchase Centre as per the law of different State Agencies/ Department.
3- The Director Agricultural Marketing may impose any other condition.

FORM XVI
[See Rule 58-C(1)/58-C(11)]

Application for grant/renewal of licence for establishment of private market yard

From:
To,

The Director Agricultural Marketing
Uttar Pradesh, Lucknow.

Sir,

I/We..... (Name with father's name) ..... (Address).....hereby request for the grant/renewal of Licence for establishing private market yard as per the details. The necessary documents as required under the provisions of the Act and Rules are enclosed herewith. I am/we are ready and willing to pay the necessary licence fee of Rs..... and security Rs.....as per rules for obtaining the above licence.

I/we request you to grant/renew the licence.

Yours faithfully,
(Applicant)
Name:
Firm seal.

Place :
Date :

(Strike out whichever not applicable)

Documents submitted with this application.

(1) Certificate of incorporation or Registration in respect of Company, Co-operative Society/Institution, Trust, Corporation, Partnership, etc.

(2) Memorandum of Association and Articles of Association and operational and working guidelines of the proposed private market yard (as applicable).

(3) Names and full address and telephone number of all the Directors and owners and partners etc. (They shall inform immediately subsequent changes if any).

(4) Detailed project-report approved/certified copy of the plan of the private market yard. Details of infrastructure created, intended to be

created with the breakup of the cost including the cost of the land in following table (proof in support of cost shall also be enclosed):

SI.No	Type of Infrastructure	Estimated Cost (Rs.)/Actual cost (if already set up).
1 2 3 4 5		

(5) Financial Status of the applicant with supportive document such as bank statements, Income-tax returns, PAN, Assets and Liability statement and its valuation certificate issued by a recognized chartered accountant.

(6) Documents relating to land including location map, ownership extract, area, title and a certificate of legal practitioner to that effect.

(7) Demand Draft in support of having paid the licence fee.

(8) Operational and working guidelines as to how private market yard shall be conducted, controlled and operated.

(9) A Bank guarantee as provided in these rules undertaking and Affidavit that the applicant shall abide by all the provisions of the Act and rules made thereunder and in case of violation he/they shall be liable for legal action including cancellation of licence and recovery of all dues.

(10) The outlay earmarked for providing facilities for lodging, boarding for the users of market. Laboratory facilities to evaluate and determine the quality of the produce, sanitary, hygienic systems and phytosanitary requirements of the consumers of such produce.

(11) Applicant shall specify the agricultural produce intended for marketing in the private market yard.

(12) Any other relevant information/documents that the applicant desires to furnish.

(Applicant)
Name:
Seal:

FORM XVIA

[See Rule 58-C(3)]

Register of license holders for establishment of Private Market Yard

Sl.No.	Name and Address of applicant	Date of Receipt of application for licence	Market area	Licence fee	Licence No. And date	Licence period	Remarks and Signature
1	2	3	4	5	6	7	8

FORM XVIB
[See Rule 58-C (7)]

License for Private Market Yard

License is hereby granted to M/s .....through it's Managing Director/Partner of the firm/ in person Mr..... S/o .....address.....for stablishment/ function of Private Market Yard for the period from ..... to .....

The boundaries of the Private Market Yard is-

East-
West-
North-
South-

Director Agricultural Marketing
Seal

Conditions-

1- The license shall furnish information to the Director Agricultural Marketing or to the officer authorised by him as may be required by him time to time.
2- The Private Market stake holders shall abide by the Rules and Laws providing in the area.
3- All the taxes, fee, cess, charges shall be payable by the Private Market licensee as per the law of different State Agencies/ Department.
4- The Director Agricultural Marketing may impose any other condition.

By order

22.1.19

(Amit Mohan Prasad)
Pramukh Sachiv

संख्याः–07/2019/2485(1)/80–1–2018तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्राणालय, ऐशबाग, लखनऊ को उपरोक्त अधिसूचना की अंग्रेजी अनुवाद की प्रति सहित दिनांक 07 फरवरी, 2019 असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग–4 के खण्ड में प्रकाशनार्थ। कृपया अधिसूचना की 50 प्रतियाँ शासन को भेजने का कष्ट करें।

2– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

3– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

4– निदेशक, मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

5– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(समर बहादुर)
अनु सचिव